सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 475 राँची ,सोमवार

31 भाद्र 1936 (श०)

22 सितम्बर, 2014 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

8 सितम्बर, 2014

संख्या- 11/रिम्स(स्था0)-01-32/2012-176(11)-- राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 2002 की धारा 32 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिम्स, विनियम समिति की अनुशंसाओं के आलोक में संस्थान का शासी परिषद् निम्न विनियम बनाती हैः-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण:

i. इन विनियमों को ''राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, विनियम 2014'' कहा जायेगा।

ii. यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएँ:

(क) इन विनियमों में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

i. 'अधिनियम' का अर्थ है राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 2002;

ii. 'संस्थान' का अर्थ है राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची (रिम्स, राँची) ;

iii. 'राज्य सरकार का अर्थ है झारखण्ड राज्य सरकार;

iv. 'अध्यक्ष' का अर्थ है रिम्स शासी परिषद् का अध्यक्ष;

v. 'सदस्य' का अर्थ है शासी परिषद् का सदस्य;

vi. ' निदेशक' का अर्थ है संस्थान का निदेशक;

vii. 'वित्त नियमावली' का अर्थ है रिम्स, राँची की वित्त नियमावली;

viii. 'आचरण नियमावली' का अर्थ है रिम्स राँची की आचरण नियमावली;

ix. 'सेवा संहिता' का अर्थ है रिम्स राँची की सेवा संहिता;

x. 'नियमावली' का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा (31) के अधीन बनायी गयी नियमावली;

xi. 'अनुसूची' का अर्थ है इस विनियम की अनुसूची;

xii. 'रिम्स का कर्मी' का अर्थ है रिम्स में सेवारत वह व्यक्ति जिसे नयी नियुक्ति या विलयन/समंजन द्वारा भर्ती किया गया है।

(ख) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्द तथा वाक्यांश जो परिभाषित नहीं है लेकिन अधिनियम में परिभाषित है उनका अर्थ अधिनियम में नियत अर्थ के सदृश्य होगा ।

3. शासी परिषद् के अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कार्य

अध्यक्ष उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कार्यों का सम्पादन करेगा, जैसा कि इस विनियम में निहित है।

4. शासी परिषद् की बैठक

i. शासी परिषद् की बैठक उतनी बार होगी, जैसा कि अध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा परन्तु शासी परिषद् की बैठक आवश्यक रूप से कम से कम तीन महीने में एक बार होगी।

ii. अध्यक्ष, शासी परिषद् की बैठक किसी भी समय बुला सकते हैं तथा ऐसा उस हालत में करेंगे जब कम से कम नौ सदस्यों द्वारा विषय विशेष उल्लेखित करते हुए इस आशय का लिखित माँग पत्र उनके सामने प्रस्तुत किए जायें।

iii. शासी परिषद् की साधारण बैठक के लिए सचिव के द्वारा कम से कम बैठक की तारीख से दो सप्ताह पहले सदस्यों को इसकी सूचना दी जायेगी जिसमें अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कार्यसूची, बैठक का स्थान, तारीख और समय निर्दिष्ट किया रहेगा।

iv. असाधारण बैठकों के लिए सदस्य सचिव द्वारा इसकी सूचना अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक की तारीख से कम से कम पाँच दिन पहले दी जायेगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित बैठक का स्थान, तारीख और समय निर्दिष्ट किया रहेगा।

v. अध्यक्ष नीचे दर्शाये गए अनुसार बैठक के पहले किसी समय या बैठक के दौरान नये विषय शामिल कर सकते हैं।

(क) कार्य सम्पादन के लिए नये विषय।

(ख) कार्यसूची में सम्मिलित विषयों के अतिरिक्त अनुपूरक विषय अध्यक्ष की अनुमति के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

अगर संभंव हो तो ऐसे अतिरिक्त विषयों की सूचना सभी सदस्यों के पास यथाशीघ्र उपयुक्त साधन से भेजी जाएगी।

vi. जो सदस्य शासी परिषद् में किसी विशेष विषय पर चर्चा करने के इच्छुक होगें उन्हें अध्यक्ष से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

vii. संस्थान की शासी परिषद् की जिस बैठक में सदस्यों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत(कोरम) की उपस्थिति नहीं रहेगी उसमें किसी कार्य का सम्पादन नहीं होगा।

viii. शासी परिषद् के सदस्यों को निजी तौर पर बैठकों में उपस्थित रहना होगा और वे किसी हालत में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेगें।

ix. अध्यक्ष, शासी परिषद् की हर बैठक की अध्यक्षता करेगें, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगें।

x. संस्थान के सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जायेगें, मत बराबरी की हालात में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

xi. किसी सदस्य द्वारा नियम संबंधी उठाये गये मुद्दे पर बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

xii. नियुक्ति के उद्देश्य से शासी परिषद् को राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप आरक्षण तालिका को पूर्ण रूप से भरने/निर्धारित करने (रोस्टर क्लियरेंस) का अधिकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड राँची से प्राप्त परामर्श के पश्चात होगा ।

शासी परिषद् को राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित नियमों परिपत्रों के अनुरूप अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने का अधिकार होगा।

xiii. प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की एक प्रति सचिव, चिकित्सा शिक्षा झारखण्ड सरकार को प्रेषित की जायेगी तथा सन्निहित वित्तीय मामले की कार्यवाहियों की एक प्रति प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग झारखण्ड सरकार को प्रेषित की जायगी।

xiv. शासी परिषद् के सिर्फ वैसे आवश्यक प्रस्ताव, अनुमोदनार्थ सरकार के पास भेजे जायेगें जिनके कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा अतिरिक्त राशि की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

xv. शासी परिषद् का वैसा प्रस्ताव जिसके लिये सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा, संस्थान के निदेशक - सह- सदस्य सचिव द्वारा दो सप्ताह के भीतर सरकार के पास भेजा जायेगा।

xvi. किसी भी ऐसे मुद्दे पर जिसका निष्पादन करना आवश्यक होगा, अध्यक्ष के निर्देश द्वारा भारत में उस समय रहने वाले सदस्यों के बीच उनके सामान्य पते पर निबंधित डाक से या किसी अन्य उपयुक्त साधन से परिचारित किया जायेगा, और यदि सभी सदस्य इस तरह से परिचारित किसी प्रस्ताव पर एकमत होकर हस्ताक्षर करते है; तब यह प्रस्ताव उसी तरह प्रभावी एवं बाध्यकारी होगा मानो वह प्रस्ताव शासी परिषद् की बैठक में पारित हुआ हो।

xvii. यदि कोई प्रस्ताव इस तरह से परिचारित किया गया हो तो परिचारित करने का परिणाम सभी सदस्यों को सूचित किया जायेगा।

xviii. शासी परिषद् द्वारा निष्पादित सभी कार्यो का अभिलेख सदस्य सचिव सुरक्षित रखेंगे।

xix. जहाँ तक संभव हो, शासी परिषद् के समस्त कार्य निष्पादन प्रस्तावों के संस्थान द्वारा सुरक्षित रखने हेतु कार्यवृत पुस्तक में अभिलिखित किये जायेगें और इसकी विधिवत् पुष्टि हो जाने के बाद बैठक के अध्यक्ष उसपर हस्ताक्षर करेंगे। शासी परिषद् के ऐसे निर्णयों का पुस्तक में प्रविष्ट होना इस बात का निर्णायक सबूत होगा कि ऐसा निर्णय शासी परिषद् की बैठक में लिया गया था।

xx. बैठक की कार्यवाहियों का अध्यक्ष द्वारा विधिवत अनुमोदित किये जाने के बाद शासी परिषद् के सदस्यों के बीच परिचारित किया जायेगा।

xxi. समस्त कार्यवाहियों का अभिलेख हार्ड एवं सॉफ्ट प्रतियों में संस्थान द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा।

xxii. संस्थान की ओर से एक अधिकृत वेबसाइट विकसित किया जायेगा जिसमें सूचनाएँ, अभिलेख और निर्णय प्रकाशित किए जायगें।

xxiii. वित्त सम्बधित मामलों में कार्यकारी समिति अथवा कोई अन्य स्थायी समिति द्वारा लिया गया निर्णय शासी परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जायेगा।

5. कार्यकारी समिति की बैठक

i. कार्य सम्पादन हेतु कार्यकारी समिति की उतनी बार बैठक हो सकती जितनी बार कार्यकारी समिति के अध्यक्ष (निदेशक, रिम्स) आवश्यक समझें, परन्तु सामान्यतः इसकी बैठक महीने में एक बार होगी और इसके लिए स्थान, तारीख तथा समय का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जायगा।

ii. कार्यकारी समिति की सभी बैठकों की कार्यवाहियों को कार्यवृत पुस्तक में प्रविष्टि किया जायेगा जिसे कार्यकारी समिति के सचिव सुरक्षित रखेंगे, और उनकी विधिवत पुष्टि हो जाने के बाद ये बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

iii. सामान्य बैठकों के मामलो में कार्यकारी समिति के सचिव, सभी सदस्यों के पास बैठक की सूचना कार्यसूची सहित कम से कम तीन दिन पहले, और असाधारण बैठकों के मामलों में कम से कम एक दिन पहले भेजेगें।

iv. पाँच सदस्यों (दो तिहाई) की उपस्थिति कोरम की पूर्ति मानी जायगी।

v. कार्यकारी समिति के सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेंगे, मतों के समान विभाजन होने की स्थिति में अध्यक्ष (निदेशक, रिम्स) निर्णायक मतदान करेंगे।

vi. कार्यकारी समिति और सभी स्थायी समितियों की बैठकों में अध्यक्ष (निदेशक, रिम्स) के पूर्वानुमोदन से किसी भी व्यक्ति को इन समितियों की बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकेगा। ऐसे व्यक्ति सिर्फ परामर्शदाता की भूमिका निर्वहन करेंगे तथा इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

6. स्थायी और तदर्थ समितियाँ

रिम्स अधिनियम 2002 के धारा 18 के अनुसार निम्नलिखित स्थायी समितियाँ होंगी:-

i. स्थायी वित्त एवं लेखा समिति
ii. स्थायी चयन समितियाँ
iii. स्थायी अकादमिक समिति
iv. स्थायी संपदा समिति
v. स्थायी प्रोन्नति समितियाँ ,
vi. स्थायी भंडार एवं क्रय समिति

सभी स्थायी समितियों का कोरम एक तिहाई होगा।

i. स्थायी वित्त एवं लेखा समिति

A. स्थायी वित्त एवं लेखा समिति की रचना निम्न प्रकार से होगी-

(क) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड सरकार अपवादिक स्थिति में कोड अखिल भारतीय पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव के समतुल्य हो और विशेष रूप से प्राधिकृत हो - अध्यक्ष

(ख) संस्थान का निदेशक - सदस्य सचिव

(ग) संस्थान का आंतरिक वित्तीय सलाहकार - सदस्य

(घ) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति, जो उप-सचिव से अन्यून हो जो सामान्य तौर पर महालेखाकार अंकेक्षण का कार्य देखते हों - सदस्य

(च) निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची - सदस्य

(छ) रिम्स अधिनियम 2002 की धारा 7 की उपधारा 11 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा शासी परिषद् के सदस्य के रूप में मनोनीत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि। - सदस्य

(ज) शासी परिषद् के सदस्यों में से एक चिकित्सा विशेषज्ञ - सदस्य

(झ) तकनीकी पदाधिकारी(कार्यपालक अभियंता), अभियंत्रण कोषांग, स्वा0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड, राँची। - सदस्य

B. स्थायी वित्त एवं लेखा समिति का दायित्व एवं कर्तव्य -

(क) वार्षिक लेखा विवरणी जिसमें संस्थान के आय-व्यय दर्शाये रहेंगे और साथ में उनके अंकेक्षण प्रतिवेदन भी।

(ख) नियमित रूप से अंकेक्षण करने के लिए रिम्स सी0ए0जी0 की सूची से एक अधिकृत लेखापाल किराये पर लेगा।

(ग) संस्थान का बजट प्राक्कलन जिसमें संस्थान के अनुमानित आय और व्यय दर्शाये हुए रहेंगे ।

(घ) नये पद के सृजन हेतु सभी प्रस्ताव ।

(च) संस्थान संबंधी सभी वित्तीय मामले।

(छ) निविदा आमंत्रण एवं स्वीकृति से संबंधित सभी मामले।

(ज) वित्तीय अनियमितता को चिहिन्त करना।

(झ) सी0ए0जी0/ए0जी0/वित्त अंकेक्षण/सी0ए0 द्वारा चिहिन्त त्रुटि का निराकरण कराना। उसकी पुनरावृत्ति न हो इस हेतु संकल्प परिपत्र निर्गत करना, प्रशिक्षण संबंधी कार्यो को देखना एवं दोषी पदाधिकारी कर्मी को चिहिन्त कर आरोप निर्धारित कर प्रपत्र 'क' गठन करना तथा अनुशासनिक कार्यवाई हेतु निदेशक को निर्देश देना।

(ट) प्रत्येक निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन करना एवं अनुपालन नहीं करने वाले पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा विभागीय सचिव एवं शासी निकाय को लिखित रूप से करना।

(ठ) इसके अध्यक्ष, शासी निकाय का सदस्य/विशेष आमंत्रित के रूप में रहकर, सभी बिन्दुओं से शासी निकाय को अवगत करायेंगे।

नोटः-स्थायी वित्त एवं लेखा समिति में वित्त /लेखा/ बैंकिग/ नाबार्ड/ आर0बी0आई0/ ए0जी0/ आई0आई0एम0 के विशेषज्ञ को विशेष सहायता हेतु आमंत्रित किया जायगा एवं उन्हें मानदेय भी दिया जायगा।

ii. स्थायी चयन समितियाँ एवं शैक्षणिक सम्वर्ग के चिकित्सकों की नियुक्ति

स्थायी चयन समितियों का गठन इस विनियम की अनुसूची V के अनुसार होगा। शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सकों की नियुक्ति खुले विज्ञापन से चयन समिति द्वारा AIIMS, नई दिल्ली के शर्तों के अनुरूप की जायगी।

iii. स्थायी अकादमिक समिति

स्थायी अकादमिक समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा-

(क) संस्थान का निदेशक	-	अध्यक्ष
(ख) संस्थान का संकायाध्यक्ष	-	सदस्य सचिव
(ग) छात्र शाखा का प्रभारी	-	सदस्य
(घ) निदेशक द्वारा मनोनीत चिकित्सा संकाय का एक सदस्य	-	सदस्य
(च) निदेशक, रिनपास, काँके, राँची	-	सदस्य
(छ) निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची	-	सदस्य
(ज) शासी परिषद् के सदस्यों में से एक चिकित्सा विशेषज्ञ	-	सदस्य

अकादमी समिति संस्थान की शिक्षा और परीक्षा का स्तर बनाये रखने के लिये जिम्मेदार होगी तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी जैसा कि संस्थान की कार्यकारी समिति द्वारा प्रत्यायोजित किये जायेंगे। अकादमिक समिति संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों/ प्रवेश के लिये चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा अदा किये जाने वाले शुल्क का भी निर्धारण करेगी तथा इसे इस विनियम की अनुसूची IX में सम्मिलित समझा जायेगा।

iv. स्थायी संपदा समिति

(क.)	संस्थान का निदेशक	-	अध्यक्ष
(ख.)	अस्पताल का चिकित्सा अधीक्षक	-	सदस्य सचिव
(ग.)	प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति	-	सदस्य
(घ.)	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार का मुख्य अभियंता	-	सदस्य
(च)	लोक निर्माण (भवन निर्माण) विभाग का मुख्य अभियंता अथवा उनका प्रतिनिधि जो कार्यपालक अभियंता से अन्यून स्तर का हो	-	सदस्य
(छ)	निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची	-	सदस्य
(ज)	निदेशक, रिनपास काँके, राँची	-	सदस्य
(झ)	शासी परिषद् के सदस्यों में से एक चिकित्सा विशेषज्ञ	-	सदस्य

संपदा समिति, संस्थान के भवनों के विकास, रूपांतरण, रख-रखाव तथा उपयोग के लिये जिम्मेदार होगी। समिति इस संबंध में किये गये कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेगी तथा इस कार्य के लिए समिति के अध्यक्ष को किसी सक्षम अभिकरण की नियुक्ति करने/किराये पर लेने का अधिकार होगा।

स्थायी संपदा समिति अपने कर्मियों को आंवटित करने के लिये क्वाटरों का वर्गीकरण भी करेगी।

v. स्थायी प्रोन्नति समितियाँ

स्थायी प्रोन्नति समितियों का गठन इस विनियम की अनुसूची V के अनुसार किया जायगा।

vi. स्थायी भंडार एवं क्रय समिति

(क)	संस्थान का निदेशक	-	अध्यक्ष
(ख)	चिकित्सा अधीक्षक	-	सदस्य सचिव

(ग)	प्रधान सचिव/सचिव, स्वा0चि0 शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति	-	सदस्य
(घ)	प्रधान सचिव/सचिव वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति	-	सदस्य
(च)	निगरानी विभाग द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि/जिला लेखा पदाधिकारी राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार	-	सदस्य
(छ)	निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची	-	सदस्य
(ज)	शासी परिषद् के सदस्यों में से एक चिकित्सा विशेषज्ञ	-	सदस्य
(झ)	प्रधान सचिव/सचिव उधोग विभाग, द्वारा मनोनीत उप सचिव स्तर के पदाधिकारी	-	सदस्य

7. शासी परिषद्, स्थायी एवं तदर्थ समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय भत्ते

i. बैठकों में शामिल होने के लिये शासी परिषद्, कार्यकारी समिति, स्थायी समितियाँ एवं तदर्थ समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता को छोड़कर कोई वेतन, शुल्क, परिश्रामिक अथवा अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। इन भत्तों का निर्धारण शासी परिषद् करेगी। गैर सरकारी व्यक्तियों को देय यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता का निर्धारण निदेशक द्वारा किया जायेगा।

ii. निदेशक, शासी परिषद्, कार्यकारी समिति, स्थायी एवं तदर्थ समिति के सदस्यों को विशेष कारणों से यात्रा व्यय मंजूर कर सकते हैं, जिसमें हवाई यात्रा भी शामिल है तथा जो सदस्यों को अन्यथा स्वीकार्य नहीं हो। इन सभी मामलों को शासी परिषद् की आगामी बैठक में सूचनार्थ उपस्थापित किया जायगा।

8. पदों का सृजन

i. रिम्स शासी परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, भारतीय परिचारिका परिषद् तथा सदृश अन्य वैधानिक संस्थानों द्वारा किये गये प्रावधानों के दायरे में पदस्थापना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में न्यूनतम पदों का सृजन/ सम्परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र होगी परन्तु, विभाग के माध्यम से विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

ii. कार्यबोझ के चलते अधिक पदों के सृजन में रिम्स, शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित प्रारूप पर राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

iii. पदों का सृजन करते समय कार्यबोझ एवं भारतीय चिकित्सा परिषद्, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्, भारतीय परिचारिका परिषद् तथा इस तरह के अन्य संवैधानिक निकायों के मार्गदर्शन के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के पद सृजन पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने की स्थिति में राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

9. A. निदेशक की नियुक्ति

(क) Essential Qualifications / Experience:

As per AIIMS, New Delhi

a. A postgraduate qualification in Medicine or Surgery or Public Health and their Branches.

b. Teaching and /research experience of not less than ten years.

c. Twenty-five years standing in the Profession.

d. Extensive Practical & Administrative experience in the field of Medical relief, Medical Research, Medical Education or Public Health organization and adequate experience of running an important scientific educational institution either as its Heads or Head of a Department.

(ख) अधिकतम आयु

अनुसूची VI में वर्णित है।

(ग) संस्थान का निदेशक यदि रिम्स के चिकित्सक संवर्ग से चुने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अवधि पूर्ण (Time Limit/Tenure) करने के उपरांत वापस अपने पूर्व के पद पर जाना होगा, परन्तु इसके लिए विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। परन्तू यदि संस्थान के निदेशक राज्य के बाहर के चुने जाते हैं तो वे उनकी कार्यकाल के उपरांत संस्थान से स्वतः बाहर हो जायेंगे।

B. निदेशक के अतिक्ति दूसरे चिकित्सा संकाय पदों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति

a. शैक्षणिक सवंर्ग के स्थायी सभी पदों पर नियुक्ति खुले विज्ञापन से स्थायी चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर शासी परिषद् द्वारा की जायगी।

b. चिकित्सा संकाय पदों की योग्यता अनुसूची III (AIIMS, New Delhi) के अनुसार होगी।

c. नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले में विभिन्न वर्गों के आरक्षण के सम्बंध में झारखण्ड राज्य सरकार की नीति एवं नियम लागू होगी।

d. प्रोन्नति - प्रोन्नति समिति (अनुसूची V) के द्वारा AIIMS, New Delhi के अनुरूप होगी।

e. Upper Age Limit- Upper Age Limit अनुसूची VI एवं AIIMS, New Delhi के अनुरूप होगी।

10. निदेशक / संकायाध्यक्ष (डीन)/ चिकित्सा अधीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ

i. निदेशक संस्थान का प्रधान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष के प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा।

ii. निदेशक वैसी अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का भी प्रयोग करेगा जो शासी परिषद् द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएगी ।

iii. निदेशक संस्थान का वार्षिक तथा अंकेक्षित लेखा शासी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगा और शासी परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर (बैठक या परिपत्र के माध्यम से) इसे राज्य सरकार के पास अग्रसारित करेगा।

iv. निदेशक को शासी परिषद् के पूर्वानुमोदन से अपने कार्यों का निवर्हन करते समय संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु परामर्श या कार्य संचालन के लिये किसी पेशेवर व्यक्तियों की अंशकालिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

v. इन विनियमों की अनुसूची I तथा II में निर्दिष्ट अधिकारों का भी प्रयोग करेगा।

vi. संस्थान का निदेशक किसी वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्ताव तैयार करेगा और सरकारी रीति के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बजट तैयार करने के पहले संस्थान का वार्षिक बजट प्रस्तुत करेगा।

vii. निदेशक को सभी समूह के कर्मियों के उपर अनुशासनिक कार्रवाई नियंत्रित/संचालित करने का अधिकार होगा। परन्तु श्रेणी I/वर्ग "क "कर्मियों (शिक्षण एवं गैर शिक्षण) एवं श्रेणी II/वर्ग "ख " (शिक्षण पद) कर्मियों की बर्खास्तगी/पदावनति के मामलों में शासी परिषद् का अनुमोदन आवश्यक होगा।

टिप्पणी: श्रेणी I/वर्ग "क ", श्रेणी II/वर्ग "ख " का निर्धारण रिम्स राँची के अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।

viii. निदेशक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई राज्य सरकार के अनुमोदन से शासी परिषद् कर सकेगी।

ix. नया निर्माण एवं वाहन क्रय शासी निकाय की स्वीकृति के उपरान्त ही होगा।

x. एक लाख या उससे अधिक के वित्तीय भार का निदेशक, अध्यक्ष द्वारा निष्पादित Delegated कार्यों की सूचना शासी निकाय को देगें।

xi. a. राज्य के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों के अनुरूप अस्पताल का अलग से वजट का प्रावधान होगा, जिसके व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी चिकित्सा अधीक्षक होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, रिम्स/राज्य सरकार होंगें।

b. शिक्षा संवर्ग के सभी पदाधिकारियों को छोड़कर अस्पताल के सभी कार्यों के प्रशासनिक नियंत्री पदाधिकारी चिकित्सा अधीक्षक होंगे।

xii. संकायाध्यक्ष (डीन) के कार्य एवं अधिकार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत सभी आहर्ताएं एवं नियम लागु होंगे।

11. विभिन्न पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली

रिम्स अधिनियम, 2002 में शैक्षणिक संवर्ग की नियुक्ति एवं प्रोन्नति के संबंध में दो भिन्न बाते वर्णित है-

I. राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली 2002 पृष्ठ संख्या 6 की कंडिका 11 में वर्णित है कि - शैक्षणिक संवर्ग के सभी पदों पर नियुक्ति, खुले विज्ञापन तथा शैक्षणिक संवर्ग के पदों

हेतु स्थायी चयन समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं के आधार पर शासी परिषद् द्वारा की जाएगी।

II. रिम्स अधिनियम 2002 धारा 28 में स्पष्ट निर्देशित है कि सभी प्रवेश, पदों पर सभी भर्ती एवं प्रोन्नति के मामलों में विभिन्न वर्गों के आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के नीति एवं नियम लागु होंगे।

आर.एम.सी.एच. का प्रर्वतन रिम्स में हुआ, भारतीय चिकित्सा परिषद् के मार्गदर्शन के आलोक में चिकित्सकों की संख्या काफी कम है। देश के कई अन्य संस्थान में व्यवस्था है कि रिक्त पदों को पहले प्रोन्नति से भरा जाता है तदुपरान्त रिक्त बचे पद पर खुले विज्ञापन से भरा जाता है, ताकि भविष्य में चिकित्सकों में गतिशीलता, निरंतरता एवं उत्साह बना रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली के तर्ज पर New Assesment Promotion Scheme for faculty सम्मिलित किया जा रहा है। जिसके विभिन्न शैक्षणिक पदों के लिए अहर्ता एवं अनुभव अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली को ध्यान में रखकर विहित किया जायेगा। सम्प्रति विहित अर्हता एवं अनुभव इस विनियम की अनुसूची III के अनुसार है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली के द्वारा New Assesment Promotion Scheme for faculty में जो भी संशोधन किया जाएगा वह अक्षरशः रिम्स, राँची में भी लागु होगा।

i. चिकित्सा शिक्षकों की मूल्यांकन प्रोन्नति इस विनियम की अनुसूची III, IV, V, VI, XI के अनुसार होगी तथा अन्य कर्मचारियों की मूल्यांकन प्रोन्नति रिम्स नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगी।

ii. वैसे मामलों में जिसके लिए रिम्स अधिनियम, रिम्स नियमावली अथवा इन विनियमों में कोई प्रावधान नहीं है, राज्य सरकार के नियम तबतक लागू रहेंगे जबतक कि संस्थान अपने नियम नहीं बना लेता।

iii. विशेष परिस्थिति में आवश्यक अर्हताओं को प्रभावित किए बिना, नियुक्ति नियमों को शिथिल करने का अधिकार शासी परिषद् को होगा।

iv. चयन एवं प्रोन्नति समितियों का गठन इस विनियम की अनुसूची V के अनुसार किया जायेगा।

v. चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा विभागों में वरीय आवासीय चिकित्सकों एवं टयूटरों की नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष में दो बार की जायगी तथा इसे प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर तक पूरा कर लिया जायेगा। वरीय आवासीय चिकित्सकों एवं टयूटरों का पद तीन वर्षों का tenure पद होगा।

vi. राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण संस्थान की कार्यकारी समिति द्वारा किया जायेगा और इसे इस विनियम की अनुसूची IX के अंतर्भुक्त माना जाएगा।

12. संस्थान के कर्मी

I. यहाँ एक-एक उप- निदेशक (प्रशासन), आंतरिक वित्तीय सलाहकार तथा लेखा पदाधिकारी होंगे। इन पदों पर नियुक्ति शासी परिषद् द्वारा आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए की जायगी। उप- निदेशक (प्रशासन), की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जायेगी।

II. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत/अधिसूचित पदों पर संस्थान द्वारा नियुक्त सभी व्यक्ति संस्थान के कर्मी होगें तथा वे रिम्स की सेवा नियमावली के द्वारा शाषित होंगे।

III. राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय का प्रर्वतन वर्ष 2002 में राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान हुआ। 2002 से पूर्व सरकार के द्वारा नियुक्त चिकित्सक रिम्स बनने के उपरांत विभिन्न विभागीय अधिसूचना के द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली एवं भारतीय चिकित्सा परिषद् के मापदंड पर चलाने हेतु पदस्थापित किया गया। उन सभी सरकारी चिकित्सकों के द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आलोक में वे विभागीय प्रशासनिक आदेश के द्वारा लियेन/प्रतिनियुक्ति पर सेवानिवृति तक कार्यरत रहेंगे। समय समय पर रिम्स में होने वाले प्रोन्नति लाभ उन्हें देय होगा परन्तु किसी प्रकार की प्रतिनियुक्ति भत्ता आदि उन्हें देय नहीं होगा।

IV. संस्थान के बाहर से, संस्थान में अथवा संस्थान से, संस्थान के बाहर किसी भी व्यक्ति का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

V. संस्थान के सभी पद गैर व्यवसायिक होंगे तथा सभी चिकित्सा पदाधिकारी (निबंधित चिकित्सा व्यवसायी) रिम्स अधिनियम 2002 के प्रारंभण की तिथि (15 अगस्त 2002) से नियमानुसार गैर व्यवसायिक भत्ते प्राप्त करेंगे। यदि किसी कर्मी के विरूद्ध निजी व्यवसाय करने का दोष सिद्ध होता है उस स्थिति में उनके विरूद्ध राज्य असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियमावली, 1930 के तहत एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के नियम के तहत कार्यवाई की जायेगी।

VI. परिचारिका महाविद्यालय, परिचारिका विद्यालय तथा संस्थान द्वारा भविष्य में स्थापित किये जाने वाले अन्य सभी संस्थान, संस्थान के अंग माने जायेगें तथा ये रिम्स, शासी परिषद् द्वारा शासित होंगे और निदेशक, रिम्स तथा/अथवा वैसे पदाधिकारी जिन्हें सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेशक, रिम्स अधिकार प्रत्यायोजित करते हैं के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।

VII. दंत चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों का संचालन इसके प्राचार्य द्वारा की जाएगी। परन्तु रिम्स संस्थान के अधीन होने की स्थिति में इसके शैक्षणिक कार्यों का देख-रेख, उचित मार्गदर्शन का कार्य रिम्स, निदेशक द्वारा संस्थान के हितों के अनुरूप एवं विश्वविद्यालय अधिनियम के आलोक में किया जाएगा।

13. कर्मियों के वेतन, भत्ते एवं कार्यावधि

संस्थान के कर्मियों के वेतन एवं भत्ते इस विनियम की अनुसूची III के अनुसार होंगी। वेतन एवं भत्ते का निर्धारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली के अनुरुप किया गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अनेकों बार शैक्षणिक संवर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन आंमत्रित करने के बावजूद भी उचित वेतनमान नहीं (वेतन विसंगति) रहने के कारण चिकित्सक नहीं मिलते हैं। परन्तु रिम्स में कार्यरत अन्य कर्मचारी/कर्मियों का वेतनमान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पद संरचना के अनुसार ही देय होगा।

रिम्स में कार्यरत वैसे चिकित्सक जो सरकार के द्वारा नियुक्त किये गये हैं एवं लियन/प्रतिनियुक्ति (Provision of Jharkhand Service code rule - 28, 67- 72) पर अपनी सेवा स्वास्थ्य विभाग के अधिसूचना के अंतर्गत रिम्स में दे रहें हैं उन्हें झारखण्ड सरकार के द्वारा देय वेतन, भत्ता (DACP) का लाभ झारखण्ड सरकार के द्वारा दिया जायेगा ।

कार्यावधि:

सभी नन-क्लिनिकल एवं पारा क्लिनिकल विभाग	1. सुबह 09:00 बजे से संध्या 01:10 बजे तक 2. भोजनावकाश 01:10 बजे से 02:00 बजे तक 3. अपराह्न 02:00 से 05:00 बजे तक
सभी क्लिनिकल विभाग	1. सुबह 09:00 बजे से 01:00 बजे तक 2. भोजनावकाश 01:00 बजे से 03:00 बजे तक 3. संध्या 03:00 बजे से 05:00 बजे तक 4. संध्या 06:00 से 07:00 बजे तक (इन्डोर राउण्ड)
आकस्मिकी (रोस्टर के अनुसार (आठ घंटे के हिसाब से) डियूटी का निर्धारण विभागाध्यक्षों एवं इकाई प्रभारी के अधीन होगा)।	24 घंटे
कार्यालय	1. सुबह 09:00 बजे से संध्या 01:10 बजे तक 2. भोजनावकाश 01:10 बजे से 02:00 बजे तक 3. अपराह्न 02:00 से 05:00 बजे तक

नोट: i. इनडोर के भर्ती मरीजों एवं विभाग विशेष के अनुसार अन्य आवश्यक कार्यों के लिए रोस्टर के अनुसार (आठ घंटे के हिसाब से) डियूटी का निर्धारण विभागाध्यक्षों एवं इकाई प्रभारी के अधीन होगा।

ii. रिम्स शासी परिषद् /राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरांत कार्यावधि में परिवर्तन किया जा सकता है।

14. संस्थान का बजट

संस्थान अगले वित्त वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और उतनी बार जैसा कि नियमों में विहित हो बजट तैयार करेगा जिसमें संस्थान की अनुमानित आय तथा व्यय दर्शायें रहेंगे और उतनी प्रतियों में राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा जैसा कि नियमों में विहित हो।

बजट प्राक्कलन में ऐसी कोई योजना के लिये प्रावधान सम्मिलित नहीं किये जा सकेंगे जिनका शासी परिषद् द्वारा विधिवत् अनुमोदन नहीं किया गया हो।

15. आचरण, अनुशासन एवं शास्तियाँ

i. रिम्स अधिनियम 2002 की धारा "13" की उपधारा "1" तथा धारा "15" की उपधारा "1" के अनुसार उन मामलों में जो इस विनियम में सम्मिलित नहीं है, राज्य सरकार के कर्मियों पर लागू होने वाले आचरण, अनुशासन तथा अन्य नियम संस्थान के कर्मियों पर लागू होगें।

ii. स्थान के विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, अधिरोपित की जाने वाली शास्तियों के लिये अनुशासनिक प्राधिकार तथा अपीलीय प्राधिकार अनुसूची II में विहित किये गये अनुसार होंगे।

iii. किसी भी मामले में राज्य लोक सेवा आयोग अथवा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं होगा।

16. सेवानिवृति

i. चिकित्सा शिक्षकों को छोड़कर संस्थान के कर्मियों की सेवानिवृति आयु 60 वर्ष होगी या जैसा कि राज्य सरकार के अनुमोदन से शासी परिषद् द्वारा विहित किया जायेगा।

ii. संस्थान के चिकित्सा शिक्षा संकाय के सदस्यों की सेवानिवृति आयु 65 वर्ष होगी। राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार में कार्यरत पदाधिकारियों / चिकित्सकों / कर्मियों के लिए सेवानिवृति उम्र सीमा में परिवर्तन करने पर इस संस्थान में पदास्थपित सभी पदाधिकारियों / चिकित्सकों / कर्मियों पर उम्र सीमा में परिवर्तन स्वतः लागू होंगे।

iii. उपविनियमों " i" एवं " ii" में किसी बात के होने पर भी नियुक्ति प्राधिकार को अगर उनकी राय में जनहित में ऐसा करना आवश्यक हो तो संस्थान के किसी भी कर्मी को कम से कम 3 महीने की लिखित पूर्व सूचना अथवा 3 महीने के वेतन एवं भत्ते देकर सेवानिवृत करने का पूर्ण अधिकार होगा, यदि उस कर्मी ने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

iv. क. समूह क/श्रेणी I अथवा समूह ख/श्रेणी II सेवा में या पद पर कार्यरत कर्मी जो 35 वर्ष की उम्र के पहले संस्थान की सेवा में आये हैं तथा 20 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है और सभी अन्य ऐसे कर्मी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, वे नियुक्ति प्राधिकार को कम-से-कम तीन महीने पूर्व लिखित सूचना देकर स्वैच्छिक सेवानिवृति की माँग कर सकते हैं। किन्तु यह बाध्यकारी नहीं होगा कि उनकी यह मांग स्वीकार कर ली जाय। इस प्रसंग में संस्थान की तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए शासी परिषद् ही अन्तिम निर्णय ले

सकती है।

ख. नियुक्ति प्राधिकार किसी निलंबित कर्मी द्वारा उपविनियम "क " के तहत सेवानिवृति की अनुमति की माँग को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

v. सरकार के द्वारा नियुक्त रिम्स में कार्यरत चिकित्सक सरकार के समक्ष स्वैच्छिक सेवानिवृति की याचना कर सकेगें।

17. सेवाशर्तें

वैसे मामलों में जिनके लिये इन विनियमों में कोई प्रावधान नहीं है, राज्य सरकार के सेवकों पर एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के कर्मियों पर लागू होने वाले सेवा की सामान्य शर्तों यात्रा एवं दैनिक भत्ता सहित वेतन एवं भत्ते, अवकाश वेतन, योगदान का समय, विदेश सेवा की शर्तों से संबंधित नियम तथा रिम्स के द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश एवं विनिश्चय, संस्थान के कर्मियों पर तब तक लागू रहेंगे जब तक रिम्स अपना नियम नहीं बना लेता।

वैसे चिकित्सक जो कि रिम्स में सरकार के द्वारा पदस्थापित/प्रतिनियुक्ति हैं वे लियन पर सेवा निवृति तक कार्यरत रहेंगे।

18. कर्मियों का पूर्णकालिक सेवक होना

जबतक कि यह स्पष्ट रूप से अन्यथा उल्लेखित ना किया गया हो संस्थान के किसी कर्मी का पूर्ण समय संस्थान के लिए प्रयोजनीय होगा और उसका उपयोग संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किसी भी प्रकार से किया जायगा।

रिम्स के संकाय सदस्य तथा कर्मी ऐसी सेवा के लिये जो उनके कार्य की सामान्य प्रकृति जिसके लिए वे नियुक्त किये गए हैं, से भिन्न प्रकार की हो, के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक के हकदार होंगे जैसा कि बजट प्रावधानों के अधीन शासी परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जायगा।

19. स्थायी, सावधिक एवं अस्थायी पद

संस्थान के पद निम्न प्रकार के होगें-

i. स्थायी पद - ऐसे पद जिनके लिए वेतन की निश्चित दर निर्धारित हो, तथा बिना किसी समय सीमा के लिए स्वीकृत किए गये हों।

ii. सावधिक (Tenure) पद - ऐसे स्थायी पद जिनपर किसी व्यक्ति को एक निश्चित समय सीमा के लिए नियुक्त किया जाता हो।

iii. अस्थायी पद - ऐसे पद जिनके लिये वेतन की निश्चित दर निर्धारित हो तथा एक सीमित समय के लिए स्वीकृत हो। अथवा

iv. कार्यप्रभारित या कार्यप्राभरित (नियमित) पद - जिनके लिए वेतन की निश्चित दर निर्धारित हो, और जो कार्य को पूरा करने के लिए एक सीमित समय के लिए स्वीकृत हो।

v. कंडिका iii और iv के तहत कार्यरत कर्मी संस्थान में स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे।

20. परिवीक्षा अवधि

जबतक कि नियुक्ति प्राधिकारी या किसी मामले में किसी अन्य नियम द्वारा अन्यथा विनिश्चित किया गया ना हो सभी कर्मी दो वर्षो के लिए परिवीक्षा अधीन रहेंगे इस अवधि में कर्मी की सेवा संतोषजनक होना आवश्यक है अन्यथा उनकी सेवा बिना किसी सूचना या कारण बताए समाप्त कर दी जायगी। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि को विस्तारित कर सकता है।

परन्तु सावधिक पदों के लिए परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी।

21. वरीयता

कर्मियों की वरीयता इस विनियम की अनुसूची IV के अनुसार निर्धारित की जायगी तथा नियुक्ति एवं योगदान को देखते हुए संस्थान द्वारा नियमानुसार वरीयता सूची प्रकाशित की जाएगी।

22. अवकाश

संस्थान के अस्थायी एवं स्थायी कर्मी ऐसे अवकाश एवं अवकाश वेतन पाने के अधिकारी होंगे जैसा कि राज्य सरकार के समकक्ष कोटियों के सेवकों को विभिन्न (अवकाश) नियमों के अधीन स्वीकार्य है। जबतक कि रिम्स द्वारा अपने सेवा नियमावली नहीं बना ली जाती तबतक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, नई दिल्ली के कर्मियों पर लागु होने वाले अवकाश यात्रा रियायत, सम्मेलनों के लिये अवकाश और परीक्षाओं के लिए अवकाश के नियम रिम्स कर्मियों पर लागू रहेंगे।

23. ड्यूटी से अनुपस्थिति

जबतक की अपवादिक परिस्थितियों में शासी परिषद् के अध्यक्ष द्वारा अन्यथा विनिश्चित न किया गया हो, संस्थान का कोई स्थायी कर्मी अगर वह निलंबन के अधीन न हो, लगातार 2 वर्षो से अधिक अपने पद से अलग नहीं रहेगा।

24. पेंशन एवं भविष्य निधि

रिम्स, राँची के वैसे पदाधिकारी एवं कर्मचारी जो रिम्स अधिनियम 2002 के प्रवर्तन तिथि के पूर्व से राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत थे अथवा सरकार के विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा रिम्स अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के पश्चात् योगदान दियें हैं एवं कार्यरत हैं, वे मूल रूप से राज्य सरकार के कर्मी माने जायेगें। वे अपनी सेवानिवृति/स्वैच्छिक सेवानिवृति की तिथि तक रिम्स, राँची में अपनी सेवाएँ देने हेतु बाध्य होंगे। ऐसे कर्मियों को सेवानिवृति/स्वैच्छिक सेवानिवृति के उपरांत मिलने वाले समस्त सेवान्त लाभ यथा पेंशन, ग्रेच्युटि इत्यादि राज्य सरकार के द्वारा देय होगा। इन सभी लाभों का भुगतान अन्य राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मियों के अनुरूप महालेखाकार/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत निदेशानुसार सम्बधित कोषागार द्वारा देय होगा।

गैर व्यवसायिक वेतन की गणना पेंशन भुगतान में नहीं की जाएगी।

सरकार के वैसे कर्मचारीगण जिनकी सीधी नियुक्ति खुले विज्ञापन के माध्यम से हुई, उनकी सेवानिवृति लाभ राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2002 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारी गण के अनुरूप बनाये गये पेंशन योजना के अनुसार देय होगा। इस उद्देश्य के लिए संस्थान अपना पेंशन, ग्रुप बीमा एवं भविष्य निधि कोष की स्थापना करेगा।

25. पुनर्नियुक्ति एवं सेवानिवृत व्यक्ति का वेतन निर्धारण

संस्थान की सेवा या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी संवैधानिक या स्थानीय निकाय जो सरकार द्वारा शासित हो, के सेवानिवृत तथा संस्थान में पुनर्नियुक्त (सेवानिवृत) व्यक्तियों का वेतन समय-समय पर संशोधित नियमों एवं आदेशों में विहित नियमों के अनुसार होगा। इसके लिए सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगा।

26. अन्य नियम

उन मामलों में जो इस विनियम में सम्मिलित नहीं है, राज्य सरकार के वित्त नियमावली, सेवा नियमावली, आचरण नियमावली तथा अन्य नियम रिम्स द्वारा अपना नियम बनाये जाने तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये आवश्यक परिवर्तन के साथ रिम्स में लागू रहेंगे।

27. संस्थान के स्वामित्व के भवन एवं भूमि

i. संस्थान अपने प्रयोजनों के अनुसार अपनी भूमि और भवनों का उपयोग करेगा, और इस प्रयोजन से किन्हीं व्यक्तियों या पदाधिकारियों के द्वारा अधिभोग के लिए आवंटित कर सकेगा जैसा कि शासी परिषद् द्वारा निर्धारित किया जायगा।

ii. इस विनियम की अनुसूची VII के अनुसार संस्थान के कर्मचारी उपलब्ध आवास आवंटित किए जाने के अधिकारी होंगे।

28. कर्मियों के लिये चिकित्सा सुविधा

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत कर्मियों के स्वास्थ्य हेतु कर्मी स्वास्थ्य योजना बनायी जायगी। वैसे चिकित्सा पदाधिकारी/कर्मियों जिन्हें इस योजना (इस योजना के विवरण इस विनियमन की अनुसूची VIII में दिये गये हैं) के अंन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी निम्न प्रकार से होगा-

1. संस्थान में प्रतिनियुक्त/कार्यरत चिकित्सकों/कर्मियों और उनके परिवार के सदस्य
2. संस्थान में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं।
3. जबतक राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत कर्मियों के स्वास्थ्य हेतु कर्मी स्वास्थ्य योजना नहीं बन जाती है तबतक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के कर्मियों में लागु चिकित्सा सुविधा, रिम्स के कर्मियों पर अक्षरशः लागु होगा।

29. विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश

संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन में संस्थान आत्मनिर्भरता (वैधानिक एवं संरचनात्मक दोनों) प्राप्त करने का प्रयास करेगा। परन्तु जबतक संस्थान आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक परीक्षा संचालित करने वाली परिषद् परीक्षाओं का संचालन करती रहेगीं। इस विषय पर स्वास्थ्य विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

30. परीक्षाओं का संचालन एवं उपाधियाँ प्रदान करना

संस्थान द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय बनाकर अपने द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में उपाधियाँ प्रदान करने के लिए परीक्षाओं के संचालन हेतु आत्मनिर्भरता (वैधानिक एवं संरचनात्मक दोनों) प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। परन्तु जबतक ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं कर लेता, वे विश्वविद्यालय तथा परिषद् जो सम्प्रति परीक्षाएँ संचालित कर रही हैं, ऐसा करती रहेंगीं।

31. अस्पताल शुल्क

अस्पताल विभिन्न सेवाओं के लिए वैसी दरों पर शुल्क की वसूली करेगा जैसा कि कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी और इनको इस विनियम की अनुसूची X में अंतर्भुक्त माना जाएगा।

32. अधिकतम आयु सीमा:

निदेशक एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा अनुसूची VI में वर्णित है।

33. अन्यान्यः

i. यदि RIMS Act 2002 / Rule 2002 / Regulation 2014 में किसी प्रकार का Conflict होने पर RIMS Act एवं RIMS Rule 2002 ही मान्य एवं प्रभावी होगा।

ii. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में मौजूद Resource Mobilization System रिम्स राँची में भी अक्षरशः लागु होगा।

iii. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं स्वास्थ्य विभाग का असाध्य रोग योजना रिम्स, राँची में भी लागु होगा।

iv. e- Governance system, रिम्स, राँची में लागू होगा।

v. रिम्स, राँची अपना वेबसाईट में मरीज का Data upload करेगा जिसमें Diagnosis Treatment Policies एवं वर्तमान स्थिति की उल्लेख होगा।

vi. रिम्स, राँची अपने सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए वे फंड मैनेजमेंट एवं प्लानिंग के प्रावधान को सुदृढ करेगा।

vii. रिम्स, राँची में बायोमेट्रिक्स Attendance की व्यवस्था लागू रहेगी।

viii. चिकित्सा विज्ञान से संबंधित अनुसंधान एवं प्रकाशन संबंधी प्रावधान जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मौजूद है वह रिम्स, राँची में अक्षरशः लागू रहेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बी0 के0 त्रिपाठी,

सरकार के प्रधान सचिव।

अनुसूची।

निदेशक, शासी परिषद् के अध्यक्ष एवं शासी परिषद् की शक्तियाँ

क्रम0 सं0	शक्तियों की प्रकृति	शक्तियों की सीमा			अभियुक्ति
		निदेशक	शासी परिषद् के अध्यक्ष	शासी परिषद्	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्वीकृत बजट से निधियों के पुनर्विनियोजन करने की शक्ति	--	--	पूर्ण शक्ति	किसी भी पूर्ण विनियोग के संबंध में प्रतिवेदन शासी परिषद् के पास अगली बैठक में अनुमोदनार्थ रखा जायगा
2.	1. चोरी धोखाधड़ी इत्यादि के कारण सामानों के मूल्य एवं राशियों की अपूर्णीय क्षति की माफी करना।	प्रत्येक मामले में पच्चीस हजार रूपये तक	प्रत्येक मामले में एक लाख रूपये तक	पूर्ण शक्ति	--
	2. आय, बाँड की राशि या अप्राप्तेय अग्रिम की हानि	--	--	पूर्ण शक्ति	
	3. भण्डार मूल्यों का ह्रास एवं कमी	--	--	पूर्ण शक्ति	
3.	1. आकस्मिक व्यय या 2. भण्डार सामग्री, एवं लेखन सामग्री का क्रय तथा प्रपत्रों का मुद्रण हेतु व्यय	स्वीकृत बजट के अंदर पूर्ण शक्ति	--	--	--

4.	भवनों का रख-रखाव/मरम्मत कार्य के लिए प्रशासनिक अनुमोदन				
	1. छोटी मरम्मतें/रख रखाव	बार्षिक सीमा के अंदर पाँच लाख रूपये तक	प्रत्येक मामले में दस लाख रूपये तक	पूर्ण शक्ति	इन सभी मामलों को शासी परिषद् की आगामी बैठक में सूचनार्थ उपस्थापित किया जायगा।
	2. साधारण मरम्मती	पूर्ण शक्ति एक लाख/कार्य	प्रत्येक मामले में पाँच लाख रूपये तक	पूर्ण शक्ति	
	3. वार्षिक मरम्मती	पूर्ण शक्ति दो लाख/कार्य	प्रत्येक मामले में दस लाख रूपये तक	पूर्ण शक्ति	
5.	यात्रा भत्ता के लिये अग्रिम स्वीकृत करने की शक्ति	स्वयं को छोड़कर सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शाक्ति	निदेशक के मामले में पूर्ण शक्ति	--	इन सभी मामलों को शासी परिषद् की आगामी बैठक में सूचनार्थ उपस्थापित किया जायगा।
6.	अंशदायी अथवा सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम अथवा अंतिम निकासी स्वीकृत करने की शक्ति, (इसे कम्प्यूटराईज, GPF Govt. की अनुशंसा पर)।	स्वयं को छोड़कर सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्ति	निदेशक के मामले में पूर्ण शक्ति	--	--
7.	लेखा से संबंधित कार्यालयीन अभिलेखों को नष्ट करना	रिम्स रिकॉर्ड मैनुअल में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन पूर्ण शक्ति एवं ए0जी0/झारखण्ड सरकार के Record Mannual के अनुरूप	--	--	--
8.	जब महीनें का अंतिम दिन, सार्वजनिक छुट्टी का दिन हो तब उस महीने के अंतिम कार्य दिवस पर संस्थान के कर्मचारियों को वेतन और भत्तों की अदायगी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति	पूर्ण शक्ति	--	--	--

9.	ऐसे मार्ग के लिये जो सबसे छोटा और सबसे सस्ता हो, प्रतिमील भत्ता देने की अनुमति देना	पूर्ण शक्ति बशर्ते कि मार्ग का चयन संस्थान के हित में किया गया हो।	--	--	--
10.	किसी खास अनुपस्थिति को अनुपस्थिति या देश के भीतर ड्यूटी निर्धारित करना।	अकादमिक उद्देश्यों के लिए पूर्ण शक्ति एवं अन्य मामलो में एक महीने के लिये।	अकादमिक मामलो को छोडकर अन्य मामलों में एक महीने से अधिक समय के लिए पूर्ण शक्ति	--	--
11.	स्वयं के एवं अन्य पदाधिकारियों के यात्रा भत्तों विपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करना	पूर्ण शक्ति राज्य के बाहर की यात्रा का ब्योरा वेबसाईट पर संधारित करना एवं अपने भ्रमण को अध्यक्ष को सूचित करना।	--	--	--
12.	1. आकस्मिक अवकाश मंजूर करना	स्वयं को छोड़कर अन्य सभी पदाधिकारियों के मामले में पूर्ण शक्ति	निदेशक को आकस्मिक अवकाश देने की पूर्ण शक्ति	--	--
	2. अवकाश की मंजूरी	समूह ख,ग और घ कर्मियों के मामलों में पूर्ण शक्ति तथा समूह क के मामले में 90 दिनों से अनाधिक	समूह क कर्मियों के लिए 90 दिनों से अधिक समय के लिए तथा निदेशक के मामले में पूर्ण शक्ति	--	इन सभी मामलों को शासी परिषद् की आगामी बैठक में सूचनार्थ उपस्थापित किया जायगा।
	3. विशेष निर्योग्यता अवकाश	पूर्ण शक्ति	--	--	--
	4. मातृत्व अवकाश तथा अस्पताल अवकाश (झारखण्ड सरकार के कर्मियों के अनुरूप)	निदेशक को छोड़कर अन्य मामलों में पूर्ण शक्ति	निदेशक के मामले में पूर्ण शक्ति	--	--
	5. अध्ययन अवकाश (झारखण्ड सेवा नियमावली	समूह ख, ग, और ध कर्मियों के लिये तीन वर्षो से	शैक्षाणिक पदों सहित समूह क कर्मियों के लिए	--	--

	के अनुरूप)	अनाधिक समय के लिए पूर्ण शक्ति	पूर्ण शक्ति		
13.	अवकाश अवधि में किसी अधिकारी को आवास का अधिभोग करने का निदेश देना	मूल प्रतिनियुक्ति की पूर्ण अवधि या मंजूर किए गये अवकाश के लिए पूर्ण शक्ति	--	--	--
14.	संस्थान के किसी कर्मी को लिपिक वर्गीय धोषित करना	--		पूर्ण शक्ति	
15.	किसी की लिअॅन निलंबित करना	पूर्ण शक्ति बशर्ते कि जिन पदों पर लिअॅन धारण किया गया है उनपर वे नियुक्ति करने हेतु अधिकृत हो।	--	--	--
16.	किसी संस्थान कर्मी के लिअॅन को एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरित करना	--	--	पूर्ण शक्ति	--
17.	संस्थान के किसी कर्मी को एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरित करना (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड के परिपत्रों के अनुरूप	समूह ख, ग और घ कर्मियों के मामले में पूर्ण शक्ति	समूह क कर्मियों के मामले में पूर्ण शक्ति	--	स्थानांतरण एवं पदस्थापन के मामले में रिम्स में स्थापना समिति का गठन किया जायेगा तदनुरूप ऐसे सभी मामले में इस समिति की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
18.	ड्यूटी पर माने जाने वाले संस्थान के किसी कर्मी का वित्त नियमों के अंर्तगत वेतन एवं भत्तों का	सभी कर्मियों के मामले में पूर्ण शक्ति, IFA तथा लेखापदाधिकारी	--	--	--

	निर्धारण	की अनुशंसा पर			
19.	वेतन वृद्धि हेतु असाधारण अवकाश की गणना	तदैव	--	--	--
20.	चयन समिति की अनुशंसा पर अग्रिम वेतन वृद्धियाँ मंजूर करने की शक्ति	--	--	पूर्ण शक्ति	--
21.	किसी स्थानापन्न सरकारी सेवक के वेतन को किसी तात्कालिक वेतनमान के प्रथम प्रक्रम तक कम करना।	समूह ख,ग और घ कर्मियों के मामले में पूर्ण शक्ति	समूह क कर्मियों के मामले में पूर्ण शक्ति	--	--
22.	मानदेय स्वीकृत करना अथवा मानदेय की स्वीकृति की अनुमति देना (यह कुल कर्मियों की संख्या का 10 % के अधीन ही रहे तथा उत्कृष्ट कार्य को आदेश में स्पष्ट अंकित किया जाय।	किसी व्यक्ति को एक वर्ष में अदा किये जानेवाले सभी श्रेणियों के आवृति अदायगियों के लिए जो वित्तीय नियमों तथा इस संबंध में रिम्स द्वारा समय - समय पर निर्गत आदेशों के अनुरूप हो, के प्रत्येक मामले में प्रतिवर्ष अधिकतम 5000रू0 तक के लिए पूर्ण शक्ति। समूह क एवं ख कर्मियों के मामले में अध्यक्ष की सहमति प्राप्त की जाय।	--	--	--
23.	किसी कर्मी को अस्थायी तौर पर कोई पद धारण करने हेतु नियुक्त करने अथवा एक से अधिक पदों पर स्थानापन्न रूप से काम करवाने तथा अनुसंगी पदों	नियमों के अनुरूप	--	--	--

	पर वेतन निर्धारित करने एवं निकासी किए जाने वाले क्षतिपूर्ति भत्ते की राशि के निर्धारण की शक्ति।				
24.	अवकाश से वापसी के पहले स्वस्थता प्रमाण पत्र माँग करने की शक्ति।	निदेशक के मामले को छोड़कर पूर्ण शक्ति।	निदेशक के मामले में पूर्ण शक्ति।	--	--
25.	अतिरिक्त अनुपस्थिति के लिए अवकाश को विस्तारित करना।	पूर्ण शक्ति बशर्ते कि अवकाश पर गये कर्मी वापसी के बाद संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा	--	--	--
26.	भारत के भीतर विदेश सेवा में स्थानांतरण की मंजूरी देना तथा विदेश सेवा में वेतन का निर्धारण	वित्त नियमों में उल्लिखित शर्तों के अधीन समूह ख, ग और घ कर्मियों के मामले में पूर्ण शक्ति	समूह क कर्मियों के मामले में पूर्ण शक्ति	--	--
27.	संस्थान के वैसे कर्मी जो विदेश सेवा से प्रत्यावर्तन के पहले अवकाश में गए हों, का प्रत्यावर्तन की तिथि निर्धारित करना।	पूर्ण शक्ति	--	--	--
28.	अनुपूरक नियमों के अधीन वैसे कार्यो के करार को मंजूरी देने जिसके लिए शुल्क का प्रस्ताव हो तथा शुल्क प्राप्त करने की शक्ति।	पूर्ण शक्ति	--	--	--
29.	अंशकालिक कर्मियों को (यात्रा भत्ता के उद्देश्य से) अदा किए जाने वाले शुल्क की श्रेणी का निर्धारण	--	पूर्ण शक्ति	--	--

30.	दो या अधिक मार्गो में से किसी को सबसे छोटा एवं सबसे सस्ता निर्धारित करना।	पूर्ण शक्ति	--	--	--
31.	किसी पड़ाव में यात्रा का आरम्भ एवं समापन बिंदु का निर्धारण	पूर्ण शक्ति	--	--	--
32.	संदेह या कठिनाई के मामले में संस्थान के किसी कर्मी के लिए वाहन में स्थान की अधिकृत श्रेणी का निर्धारण।	पूर्ण शक्ति	--	--	--
33.	हवाई यात्रा सहित उच्चत्तर श्रेणी में जिसके लिए वह कर्मी अधिकृत नहीं हो, यात्रा करने की अनुमति देने की शक्ति। (झारखण्ड सरकार के TA rule के अनुरूप)	अत्यावश्यकता तथा जरूरी मामलों में पूर्ण शक्ति, इस औचित्य को आदेश में साक्ष्य सहित अंकित किया जाय।	--	--	--
34.	दौरे की अवधि को दस दिनों के लिए सीमित करने वाले नियमों से छूट देने की शक्ति	निदेशक को छोड़कर अन्य कर्मियों के लिए 90 दिनों तक की पूर्ण शक्ति	निदेशक के मामले में 90 दिनों तक की पूर्ण शक्ति तथा अन्य कर्मियों के मामले में 90 दिनों से अधिक के लिए पूर्ण शक्ति	--	--
35.	नियंत्री पदाधिकारी घोषित करना तथा उसके मार्गदर्शन के लिए नियम बनाना।	--	--	पूर्ण शक्ति	--
36.	ऐसे कर्मी को जिसके विषय मे चिकित्सा परिषद् ने यह प्रतिवेदन दिया है कि उस कर्मी के स्वस्थ होने और ड्यूटी में लौटने की संभावना नहीं है, अवकाश मंजूर करना।	पूर्ण शक्ति	--	--	शासी परिषद् के ऐसे किसी मार्गदर्शन के अनुरूप।
37.	सामान्यतः यात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले	पूर्ण शक्ति	--	--	--

	किसी मार्ग से भिन्न मार्ग की गणना की अनुमति देना।				
38.	अधिकतम 30 दिनों के भीतर योगदान तिथि को बढ़ाना ।	पूर्ण शक्ति	--	--	--
39.	संस्थान कर्मियों के सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि दर्ज करने में हुई लिपिकीय भूल को बदलने की शक्ति	स्थाई वित्त / लेखा समिति के अनुशंसा पर साक्ष्य अंकित करते हुए सेवा पुस्तिका में संशोधन कर निदेशक के प्रतिहस्ताक्षर के साथ ।	--	--	--
40.	तीन वर्ष तक से अनाधिक/पुराने बकाया वेतन इत्यादि के लिए दावों की जाँच की मंजूरी देने की शक्ति		पूर्ण शक्ति	--	--
41.	अग्रिम की मंजूरी देने की शक्ति (झारखण्ड वित्त नियमावली एवं परिपत्रों के अनुरूप)	निदेशक को छोड़कर पूर्ण शक्ति	निदेशक के मामले में पूर्ण शक्ति		
42.	अप्रयुक्त, अतिरिक्त तथा अनुपयोगी सामग्रियों का निपटारण (झारखण्ड सरकार के परिपत्रों के अनुरूप)	शासी परिषद् की सलाह से निदेशक पूर्ण शक्ति का प्रयोग करेगें।	--	--	--
43.	अपवादिक मामलों में किसी संस्थान के कर्मी को मंजूर किये गए अग्रिम की पुर्नअदायगी की शर्तों को बदलने की शक्ति।	जिन मामलों में वे अग्रिम मंजूर करने में सक्षम हो, पूर्ण शक्ति, बषर्ते ब्याज अर्जक अग्रिम के मामले में पुर्नअदायगी की अवधि को बढ़ाया	--	--	--

		नहीं जायगा।			
44.	संस्थान से अग्रिम लेकर खरीदे गये वाहनों के विक्रय अथवा हस्तांतरण अधिकृत करने की शक्ति।	वित्त नियमों में यथा उल्लिखित पूर्ण शक्ति	--	पूर्ण शक्ति	--
45.	कानूनी वादों के लिए जिनमें संस्थान एक पक्षकार हो, अग्रिम मंजूर करने की शक्ति।	पूर्ण शक्ति	--		शासी परिषद् या संस्थान के सामान्य दिशा निर्देशों के अनुरूप
46.	रोकड़, साम्रगी इत्यादि की अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार अधीनस्थ प्रधिकारी द्वारा निष्पादित की जाने वाली जमानत का प्रपत्र विहित करने की शक्ति।	वित्त समिति के अनुमोदन से पूर्ण शक्ति।	--	--	--
47.	बजट प्रावधानों के अंतर्गत आकस्मिक खर्च करने तथा निर्माण कार्यो को छोड़कर अन्य सामग्रियाँ खरीदने की शक्ति	निधि की उपलब्धता के अनुरूप पूर्ण शक्ति	--	--	--
48.	मुख्यालय से अनुपस्थिति की पूर्ण अवधि के लिए दैनिक भत्ते को मील भत्ते मे बदलने की अनुमति देने की शक्ति ।	निदेशक को छोड़कर पूर्ण शक्ति	निदेशक के मामले में पूर्ण शक्ति	--	--
49.	जब किसी संस्थान के कर्मी को वाहन संस्थान द्वारा दिया गया हो और कर्मी द्वारा इसके उपयोग एवं प्रचालन का खर्च वहन किया जाता हो तब भाड़े की राशि अथवा शुल्क निर्धारण करने की शक्ति	--	--	पूर्ण शक्ति	--

50.	जाँच आयोग में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी व्यक्तियों को यात्रा भत्ता मंजूर करना तथा उनकी श्रेणी का निर्धारण करना।	पूर्ण शक्ति	--	--	--
51.	हिल-स्टेशनों में ड्यूटी पर दस दिन से अधिक रूकने की मंजूरी देना।	सभी श्रेणियों के कर्मियों के लिए 30 दिनों तक की पूर्ण शक्ति।	पूर्ण शक्ति	--	--
52.	लंबे अवकाश सहित छुट्टी के दरम्यिान यात्रा करने की मंजूरी देना	निदेशक को छोड़कर सभी कर्मियों के लिए पूर्ण शक्ति	निदेशक के मामले में पूर्ण शक्ति	--	--
53.	किसी पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किसी संस्थान कर्मी को स्वीकार्य यात्रा भत्ता की दर निर्धारित करने की शक्ति।	पूर्ण शक्ति यदि प्रशिक्षण की अवधि 90 दिनों से अनाधिक हो।	पूर्ण शक्ति	--	--
54.	आवासों का आवंटन	यह स्थायी संपदा समिति की अनुशंसा एवं स्थापित अर्हता एवं आवेदक की वरीयता के अनुरूप(झारखण्ड सरकार नियमावली में संस्थापित)	--	--	--
55.	संस्थान के अधिकारियों को बैठकों, सम्मेलनों, परिचर्चाओं, कार्यशालाओं, विचारगोष्ठियों इत्यादि या किसी अल्पकालिक नियोजन में सम्मिलित होने के लिए विदेश जाने की अनुमति देने की शक्ति	--	पूर्ण शक्ति	शासी निकाय की अगली बैठक में सूचना तथा विदेश भ्रमण के औचित्य तथा भ्रमणकर्ता के प्रतिवेदन को रखना एवं वेबसाईट पर संधारित करना।	रिम्स द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशो के अधीन

56.	शिक्षण कर्मियों द्वारा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन अथवा विचार गोष्ठि अथवा परिचर्चा इत्यादि में भाग लेने के कारण होने वाली अनुपस्थिति को ड्यटी मानने की शक्ति।	--	तदैव	शासी परिषद् की अगली बैठक में में सूचना तथा विदेश भ्रमण के औचित्य तथा भ्रमणकर्ता के प्रतिवेदन को रखना एवं वेबसाईट पर संधारित करना।	रिम्स द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के अधीन
57.	संस्थान के पदाधिकारियों को संस्थान के कार्य के संबंध में विदेश जाने की अनुमति देने और उनकी अनुपस्थिति को ड्युटी मानने की शक्ति	--	--	--	रिम्स द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अधीन
58.	अन्यत्र नियुक्ति किए गये संस्थान कर्मियों की लिअॅन धारण करने की शक्ति।	समूह ख,ग और घ पदों के लिए अधिकतम दो वर्षों तक के लिए पूर्ण शक्ति, एक बार में एक वर्ष के लिए।	समूह क के पदों के लिए अधिकतम दो वर्षो के लिए पूर्ण शक्ति।	समूह क के पदों के लिए दो वर्षों से अधिक के लिए पूर्ण शक्ति।	--
59.	पदों पर नियुक्ति करने की शक्ति (इन विनियम के प्रावधानों के अधीन	--	--	--	--
	i. तदर्थ अथवा अस्थायी (मात्र 90 दिन)	समूह ख, ग और घ पदों के लिए पूर्ण शक्ति।		--	--
	ii. स्थायी	समूह ग एवं घ पद	समूह ख पद	समूह क पदों के लिए पूर्ण शक्ति	--
60.	सेवानिवृत व्यक्तियों को अस्थायी रिक्तियों में पुर्नःनियुक्ति की मंजूरी देना।	--	--	पूर्ण शक्ति	--
61.	झारखण्ड सेवा संहिता के अनुपूरक नियम 209 के प्रावधानों को हटाना तथा अवकाश दिनों के साथ छुट्टियों को सम्मिलित	पूर्ण शक्ति	--	--	--

	करने के संबंध में अनुपूरक नियम 211 से विचलन को प्राधिकृत करना				
62.	परिवीक्षा अवधि की सफलता पूर्वक समापन के बाद समूह क एवं ख के अधिकारियों को सम्पुष्ट करने की शक्ति।	निदेशक के मामले को छोड़कर पूर्ण शक्ति	--	--	--
63.	संस्थान के समूह ख कर्मियों का त्यागपत्र स्वीकार करने की शक्ति	पूर्ण शक्ति	--	--	--
64.	संस्थान के समूह क कर्मियों का त्यागपत्र स्वीकार करने की शक्ति	प्राध्यापकों और अपर-प्राध्यापकों को छोड़कर समूह क के सभी पदों के मामले में पूर्ण शक्ति।	निदेशक (शासी परिषद् के द्वारा की गयी पुष्टि के अनुरूप), प्राध्यापकों तथा अपर-प्राध्यपकों के मामले में पूर्ण शक्ति	--	--
65.	सामान्य नियमों के अधीन संस्थान कर्मियों के वेतन निर्धारण की शक्ति ।	पूर्ण शक्ति।	--	--	--
66.	शोध अनुदानों को स्वीकार करने की शक्ति यदि वे तीन वर्षो से अनाधिक समय के लिए हों ।	रिम्स की सामान्य नीति के अधीन पूर्ण शक्ति	--	शासी निकाय को सूचना देना आवश्यक होगा।	--
67.	राज्य एवं केन्द्र सरकार के प्रतिनियुक्त कर्मियों के मामले में शर्तों, विदेश सेवा शर्तों को स्वीकार करने की शक्ति जब वे शर्तें सामान्य प्रकृति की हों।	पूर्ण शक्ति	--	तदैव	--
68.	वरीय आवासीय चिकित्सकों अथवा टयूटरों की सेवा अवधि विस्तारित करने की शक्ति।	--	पूर्ण शक्ति	--	--
69.	शोध योजनाओं के कर्मियों	--	--	पूर्ण शक्ति	--

	को संस्थान में उनको नियमित पदों में नियुक्ति किए जाने पर वित्त नियम 27 के अधीन अग्रिम वेतन वृद्धि मंजुर करने की शक्ति।				
70.	यह घोषित करना कि संस्थान के कर्मियों के वेतन में सड़क पर किए गये गए सभी यात्राओं के लिए क्षतिपूर्ति भी सम्मिलित है।	समूह ख, ग और घ कर्मियों के मामले में पूर्ण शक्ति	समूह क कर्मियों के मामले में पूर्ण शक्ति	--	--
71.	संदेह की हालत में कोई कर्मी अवकाशीय(वेकेशन) विभाग में सेवारत है या नहीं इसका निर्धारण करना।	पूर्ण शक्ति	--	--	--
72.	किसी कर्मी को भारत के किसी भाग में ड्यूटी पर जाने के लिए अधिकृत करना।	प्राध्यापकों को छोड़कर समूह क, ख, ग और घ कर्मियों के मामले में पूर्ण शक्ति	प्राध्यापकों के मामले में पूर्ण शक्ति।	--	--
73.	तीन वर्षो से अधिक परन्तु छः वर्षो से अनाधिक पुराने समय के बकाया वेतन इत्यादि के दावों के जाँच की मंजूरी देने की शक्ति।	--	--	पूर्ण शक्ति	--
74.	आकस्मिक व्यय के संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों को अनुदेश देने की शक्ति।	पूर्ण शक्ति	--	--	--
75.	वाहन की खरीद के लिए अग्रिम मंजूर करने की शक्ति। (झारखण्ड सरकार के नियम के अनुरूप)	वित्त नियमों में निर्धारित की गई सीमाओं और शर्तों के अधीन स्थायी पदों में कार्यरत संस्थान कर्मियों के मामले में पूर्ण शक्ति।	--	--	--

76.	दौरा, स्थानान्तरण इत्यादि पर जानेवाले संस्थान कर्मियों को अग्रिम मंजूर करने की शक्ति।	वित्त नियमों में निर्धारित सीमाओं और शर्तों के अधीन स्थायी अथवा अस्थायी पदों पर कार्यरत संस्थान कर्मियों के मामले में पूर्ण शक्ति।	--	--	--
77.	महत्वपूर्ण त्योहारों के अवसर पर वेतन अग्रिम मंजूर करने की शक्ति (राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुरूप)	पूर्ण शक्ति।	--	--	--
78.	संस्थान की धनराशि की अभिरक्षा से संबंधित नियमों के प्रावधनों में विचलन अधिकृत करने की शक्ति	पूर्ण शक्ति।	--	--	शासी परिषद् अथवा राज्य सरकार द्वारा निधारित मार्गदर्शन के अनुरूप?
79.	अस्पताल प्रभारों अथवा छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क तथा अन्य प्रभारों का निर्धारण।	--	--	स्थायी अथवा तदर्थ समितियों की अनुशंसा पर पूर्ण शक्ति।	--
80.	i. प्रतिनियुक्ति के आधार पर समूह "क" अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति	--	शासी परिषद् द्वारा सम्पुष्टि किए जाने की शत्र्त पर निदेशक की अनुशंसा पर पूर्ण शक्ति।	--	--
	ii. प्रतिनियुक्ति के आधार पर समूह ख अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति	चयन समिति की अनुशंसा पर पूर्ण शक्ति।	--	--	शासी परिषद् द्वारा निर्धारित किसी मार्गदर्शन के अनुरूप

टिप्पणी: श्रेणी I समूह क/ श्रेणी II समूह ख/ श्रेणी III समूह ग/ श्रेणी IV समूह घ का वर्गीकरण एम्स के अनुसार होगा।

नोट:- अनूसूची । में शासी परिषद्, अध्यक्ष एवं निदेशक के शक्तियों का सविस्तार वर्णन किया गया है। जहाँ कहीं भी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी झारखण्ड सेवा संहिता, वित नियमावली एवं झारखण्ड ट्रेजरी कोड के प्रावधान लागू होंगे ।

अनुसूची II

संस्थान के विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति, अनुशासी तथा अपीलीय प्रधिकारी

क्रम0 सं0	पदों का विवरण	नियुक्ति प्रधिकारी	अनुशासी प्रधिकारी	राज्य असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियमों के तहत शास्तियाँ	अपीलीय प्रधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	समूह क/श्रेणी । शैक्षाणिक तथा गैर शैक्षाणिक पद				
	i. निदेशक	शासी परिषद्	शासी परिषद्	सभी शास्तियाँ	राज्य सरकार
	ii. अन्य पद	शासी परिषद्	क. शासी परिषद्	सभी शास्तियाँ	राज्य सरकार
			ख. अध्यक्ष	सभी शास्तियाँ	राज्य सरकार
2.	समूह ख/श्रेणी II पद	शासी परिषद्	निदेशक	सभी शास्तियाँ	राज्य सरकार
3.	समूह ग/श्रेणी III तथा समूह घ/श्रेणी IV पद	निदेशक	क. निदेशक	सभी शास्तियाँ	शासी परिषद्
			ख. नीचे ग,घ और च में वर्णित को छोड़कर संस्थान के अन्य कर्मियों के मामले में संकायाध्यक्ष	सभी शास्तियाँ	निदेशक
			ग. राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल कर्मियों के मामले में चिकित्सा अधीक्षक	सभी शास्तियाँ	निदेशक
			घ. नेत्र विज्ञान केन्द्र तथा संस्थान द्वारा समयानुसार स्थापित अन्य केन्द्रों में कार्यरत	सभी शास्तियाँ	निदेशक

			कर्मियों के मामले में नेत्र विज्ञान केन्द्र के मुख्य संचालक तथा संबंधित केन्द्रों के मुख्य संचालक		
			च. दंत चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मियों के मामले में दंत चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य	सभी शास्तियाँ	निदेशक

टिप्पणीः विभागाध्यक्ष अपने संबंधित विभागों के नियंत्री पदाधिकारी होगें।

अनुसूची III

रिम्स, राँची के चिकित्सा संकाय पदों के वेतन एवं भत्ते तथा नियुक्ति हेतु योग्यताएँ एवं अनुभव

(अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अनुसार)

तालिका – I

क्रम0 सं0	पद का नाम	पे-बैण्ड + ग्रेड-पे	योग्यता
(1.)	(2.)	(3.)	(4.)
1.	**निदेशक** **(Director)**	शीर्ष वेतनमान 80,000 रू0 स्थिर + एन0पी0ए0	**Essential Qualification/Experience:** a. A postgraduate qualification in Medicine or Surgery or Public Health and their Branches. b. Teaching and /research experience of not less than ten years. c. Twenty-five years standing in the Profession. Extensive practical & Administrative experience in the field of Medical Relief, Medical Research, Medical Education or Public Health Organization and adequate experience of running an important

			scientific educational institution either as its Heads or Head of a Department.
2.	**प्राचार्य/संकायाध्यक्ष** **(Pricipal/Dean)**	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड 75,500 - 80,000 रू0 + एन0पी0ए0	**Essential Qualification/Experience:** a. A postgraduate qualification in Medicine or Surgery or Public Health and their Branches. b. Teaching and /research experience of not less than ten years. c. Twenty-five years standing in the Profession. Extensive practical & Administrative experience in the field of Medical Relief, Medical Research, Medical Education or Public Health Organization and adequate experience of running an important scientific educational institution either as its Heads or Head of a Department.
3.	**चिकित्सा अधीक्षक** **(Medical Suprintendent)**	पी0बी0 -4 37,400 - 67,000 रू0 + 10,000 + एन0पी0ए0	**Essential Qualification/Experience:** 1. A medical qualification included in the I or II schedule or part II of third schedule to Indian Medical Council Act of 1956 (persons possessing qualification included in part II or third schedule should also fulfill the conditions specified in section 13 (3) the Act. 2. A Post graduate qualification e.g. MD/MS or a recognized qualification equivalent thereto. And/Or MHA (Masters in Hospital Asministration) or a Post graduate degree recognized as equivalent to MHA by the medical council of India **Experience** 10 years experience in the Hospitals administration after obtaining the PG degree in a senior position, preferably in hospitals with 300 beds.

4.	**वरीय प्राध्यापक** **(Senior Professor)**	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड 67,000 - 79,000 रू0 + एन0पी0ए0	**Essential Qualification/Experience for Medical Candidates:** 1. A medical qualification included in the I or II schedule or part II of the third schedule to the Indian medical Council Act of 1956 (persons possessing qualifications included in part II of the third schedule should also fulfil the conditions specified in section 13(3) of the Act. 2. A postgraduate qualification e.g. MD/MS or a recognized qualification equivalent thereto in the respective discipline/subject. And/or 3. M.Ch for surgical super specialities and D.M. for Medical Superspecialities (2 years or 3 years or 5 years recognized equivalent thereto. **Experience** Fourteen years teaching and/or research experience in recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of MD/MS qualification recognized equivalent thereto. Or Twelve years teaching and/or research experience in recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of MCh/DM(2 years or 5 years course recognized after MBBS) in the respective discipline/ subject or a qualification recognised equivalent thereto. Or Eleven years teaching and/or research experience in recognized Institution in the subject of speciality for the candidates possessing three years recognized degree of DM/MCh in the respective discipline/ subject or a qualification recognised equivalent thereto.

5.	**प्राध्यापक** **(Professor)**	पी0बी0 -4 37,400 - 67,000 रू0 (न्यूनतम वेतन 51,600) + 10,500 + एन0पी0ए0	**Essential Qualification/Experience for Medical Candidates:** 1. A medical qualification included in the I or II schedule or part II of the third schedule to the Indian medical Council Act of 1956 (persons possessing qualifications included in part II of the third schedule should also fulfil the conditions specified in section 13(3) of the Act. 2. A postgraduate qualification e.g. MD/MS or a recognized qualification equivalent thereto in the respective discipline/subject. And/or 3. M.Ch for surgical super specialities and D.M. for Medical Superspecialities (2 years or 3 years or 5 years recognized equivalent thereto. Experience Fourteen years teaching and/or research experience in recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of MD/MS qualification recognized equivalent thereto. Or Twelve years teaching and/or research experience in recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of MCh/DM(2 years or 5 years course recognized after MBBS) in the respective discipline/ subject or a qualification recognised equivalent thereto. Or Eleven years teaching and/or research experience in recognized Institution in the subject of speciality for the candidates possessing three years recognized degree of DM/MCh in the respective discipline/ subject or a qualification recognised equivalent thereto.

6.	**अपर प्राध्यापक** **(Additional Professor)**	पी0बी0 -4 37,400 - 67,000 रू0 (न्यूनतम वेतन 46,600) + 9,500 + एन0पी0ए0	**Essential Qualification/Experience for Medical Candidates:** **Essential for General discipline :** 1 to 2 same as for Professor (Medical) Experience : Ten years teaching and/or research experience in a recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying Degree of M.D./M.S. or a qualification thereto. **Essential for Superspeciality discipline** : 1. Same as Professor (medical) 2. D.M. in the respective discipline/subject for medical superspecialities and M.Ch. in the respective discipline/subject for surgical superspecialities (2 years or 3 years or 5 years recognized course) or a qualification recognized equivalent thereto. **Experience** Eight years teaching and/or research experience in a recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of D.M./M.Ch (2 years or 5 years recognised course after MBBS) in the respective discipline/subject or a qualification recognized equivalent thereto. Or Seven years teaching and/or research experience in recognized Institution in the subject of speciality for the candidates possessing 3 years of recognized degree or D.M./M.Ch. in the respective discipline or a qualification recognised equivalent thereto.
7.	**सह-प्राध्यापक** **(Associate Professor)**	पी0बी0 -4 37,400 - 67,000 रू0 (न्यूनतम वेतन 42,800) + 9,000 + एन0पी0ए0	**Essential Qualification/Experience for Medical Candidates:** **Essential for General discipline** : 1 to 2 same as for Professor (Medical)

			Experience : Six years teaching and/or research experience in a recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying Degree of M.D./M.S. or a qualification recognized equivalent thereto. **Essential for Superspeciality disciplines** : 1. Same as Professor (Medical) 2. D.M. in the respective discipline/subject for medical superspecialities and M.Ch. in the respective discipline/subject for surgical superspecialities (2 years or 3 years or 5 years recognized course) or a qualification recognized equivalent thereto. **Experience** Four years teaching and/or research experience in a recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of D.M./M.Ch (2 years or 5 years recognised course after MBBS) in the respective discipline/subject or a qualification recognized equivalent thereto. Or Three years teaching and/or research experience in the recognized Institution in the subject of speciality for the candidates possessing 3years of recognized degree or D.M./M.Ch. in the respective discipline/subject or a qualification recognised equivalent thereto.
8.	**सहायक- प्राध्यापक** **(Assistant Professor)** **(स्नातोकोत्तर के बाद 3 वर्षो का कुल शैक्षाणिक अनुभव) 3 वर्षो की समाप्ति के बाद**	पी0बी0 -4 37,400 - 67,000 रू0 + 8,700 +एन0पी0ए0	**Essential Qualification/Experience for Medical Candidates:** **Essential for General discipline** : 1 to 2 same as for Professor (Medical) **Experience** : Three years teaching and/or research experience in a recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying Degree of M.D./M.S. or a

			qualification recognized equivalent thereto. **Essential for Superspeciality disciplines** : 1. Same as Professor (Medical) 2. D.M. in the respective discipline/subject for medical superspecialities and M.Ch. in the respective discipline/subject for surgical superspecialities (2 years or 3 years or 5 years recognized course) or a qualification recognized equivalent thereto. **Experience** One year teaching and/or research experience in a recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of D.M./M.Ch (2 years or 5 years recognised course after MBBS) or qualification recognized equivalent thereto. However, no experience is necessary for the candidates possessing 3 years recognised Degree D.M./M.Ch. or a qualification recognized equivalent thereto.
9.	**सहायक-प्राध्यापक** **(Assistant Professor)** **(स्नातोकोत्तर के बाद 3 वर्षो का कुल शैक्षाणिक अनुभव)**	पी0बी0 -3 15,600 - 39,100 रू0 (न्यूनतम वेतन 30,000) +8,000 + एन0पी0ए0	**Essential Qualification/Experience for Medical Candidates:** **Essential for General discipline** : 1 to 2 same as for Professor (Medical) **Experience :** Three years teaching and/or research experience in a recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying Degree of M.D./M.S. or a qualification recognized equivalent thereto. **Essential for Superspeciality disciplines** : 1. Same as Professor (Medical) 2. D.M. in the respective discipline/subject for medical superspecialities and M.Ch. in the respective discipline/subject for surgical superspecialities (2 years or 3 years or 5 years recognized course) or a qualification recognized equivalent thereto.

			Experience One year teaching and/or research experience in a recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of D.M./M.Ch (2 years or 5 years recognised course after MBBS) or qualification recognized equivalent thereto. However, no experience is necessary for the candidates possessing 3 years recognised Degree D.M./M.Ch. or a qualification recognized equivalent thereto.
10.	**ट्यूटर/वरीय आवासीय** **(Tutor/Senior Resident)** **चिकित्सक (अकादमिक एवं गैर-अकादमिक)** **(Tenure Post only for 03 Years)**	पी0बी0 -3 15,600 - 39,100 रू0 +6,600 + एन0पी0ए0	**Essential Qualification for Medical Candidates:** A postgraduate Medical Degree viz. M.D./M.S./M.D.S. in the respective discipline from a recognised University/Institute.
11.	**प्राध्यापक** **(Professor)** **(गैर चिकित्सक)**	पी0बी0 -4 37,400 - 67,000 रू0 + 8,700	**Essential Qualification/Experience for Non-Medical Candidates:** 1. Postgraduate qualification e.g. Master Degree in the discipline/allied subject. 2. A doctorate Degree of a recognized university. **Experience**: Fourteen years teaching and/or research experience in the discipline /subject concerned after obtaining the doctorate degree.
12.	**अपर प्राध्यापक** **(Additional Professor)**	पी0बी0 -4 37,400 - 67,000 रू0 (न्यूनतम वेतन 46,600) + 9,500 + एन0पी0ए0	**Essential Qualification/Experience for Non-Medical Candidates:** 1 & 2 are same as for Professor (Non Medical) **Experience** Ten years teaching and/or research experience in the discipline /subject concerned after obtaining the doctorate degree.

13.	**सह-प्राध्यापक** **(Associate Professor)** **(गैर चिकित्सक)**	पी0बी0 -3 15,600 - 39,100 रू0 (न्यूनतम वेतन 22,300) + 7,600	**Essential Qualification/Experience for Non-Medical Candidates:** 1 & 2 are same as for Professor (Non Medical) **Experience** a. Six years teaching and/or research experience in the discipline /subject concerned after obtaining the doctorate degree.
14.	**सहायक प्राध्यापक** **(Assistant Professor)** **(गैर चिकित्सक)**	पी0बी0 -3 15,600 - 39,100 रू0 (न्यूनतम वेतन 18,600) + 6,600	**Essential Qualification/Experience for Non-Medical Candidates:** 1 & 2 are same as for Professor (Non Medical) **Experience** Three years teaching and/or research experience in the discipline /subject concerned after obtaining the doctorate degree.
15.	**ट्यूटर** **(Tutor)** **(गैर चिकित्सक)** **(Tenure Post only for 03 Years)**	पी0बी0 -3 15,600- 39,100 + 5,400	**<u>Essential Qualification</u>** **For Non-medical Candidates(for subject of Anatomy, Biophysics and Pharmacology)** i. The candidate possesses M.Sc. Degree in the subject concerned and ii. Ph.D. in the subject concerned/ allied subject from a recognized University/Institute.
16.	**चिकित्सा उपाधीक्षक** **(Deputy Medical Superintendent)**	पी0बी0 -4 37,400 - 67,000 रू0 + 8700 + एन0पी0ए0	**<u>Essential Qualification</u>** 1. A medical qualification included in the first schedule to Indian Medical Council Act 1956 (person possessing qualification included in part II of the third schedule should also fulfill the conditions specified in section 13 (3) of the Act. 2. MD/MS degree recognized by MCI 3. The candidates must be registered with central/state medical council act. 4. 5 years experience in the administration of a Major Hospital of at least 500 hundred

			beds or any health care organization. 5. Preference will be given to candicates having MHA or MD Hospital administration.
17.	**चिकित्सा पदाधिकारी** (Medical Officer)	पी0बी0 -3 15,600 - 39,100 रू0 + 5400 + एन0पी0ए0	**Essential Qualification** 1. A medical qualification (eg MBBS) included in the I or II schedule or Part II of the third schedule to the Indian Medical Council Act of 1956 (Persons possessing qualification included in part II of third schedule should also fulfilled the condition specified in section 13(3) of the Act) 2. Registration with central/ state medical council 3. completion of compulsory rotating internship

PAY SCALE OF SENIOR RESIDENTS AND JUNIOR RESIDENTS

तालिका – II

JUNIOR RESIDENTS: PAY BAND 15600, GRADE PAY 5400 = 21000 (BASIC PAY)

BASIC PAY	15600+5400	21000
DA@100%	21000	21000
HRA@20%	As per State Govt. rule	
TRANSPORT ALLOWANCE (If vehicle is not provided by the institute)	As per State Govt. rule	
NPA	21000*25%	5250

तालिका – III

SENIOR RESIDENTS PAY BAND 18750, GRADE PAY 6600 = 25350 (BASIC PAY)

BASIC PAY	18750+6600	25350
DA@100%	25350	25350
HRA@20%	As per State Govt. rule	
TRANSPORT ALLOWANCE (If vehicle is not provided by the institute)	As per State Govt. rule	
NPA	25350*25%	6338

टिप्पणी:

1. चिकित्सकों की वेतन की गणना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अनुरूप की जायेगी।

2. पे बैण्ड का वेतन तथा अकादमिक ग्रेड पे 80,000 रूपये से अधिक नहीं होगा तथा जिन्हें प्रैक्टिस निषेध भत्ता स्वीकार्य है, उनका वेतन + अकादमिक ग्रेड पे + एन0पी0ए0 85,000 रूपये से अधिक नहीं होगा।

3. एन0पी0ए0, जो मूल वेतन का 25 % होगा एवं उस पर अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

4. भत्ता राज्य कर्मियों के अनुरूप प्रभावी होगा।

5. टयूटर, वरीय एवं कनीय आवासीय चिकित्सकों के वेतन एवं भत्तों की गणना एम्स, नई दिल्ली के अनुसार की जाएगी।

6. अन्य पदों पर कार्यरत कर्मियों का वेतन राज्य सरकार द्वारा उनके पद संरचना के अनुरूप निर्धारित वेतन संरचना के सदृश्य देय होगा।

नोटः-

वेतन एवं भत्ते तथा योग्यता एवं अनुभव में समय समय पर आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में जो संशोधन होगा वह अक्षरशः रिम्स, राँची में भी लागु होंगें। किन्तु उसके लिए शासी परिषद् का अनुमोदन अपेक्षित होगा। किन्तु वेतन, भत्ते आदि तथा योग्यता एवं अनुभव के मामले में शासी परिषद् कोई शिथिलता प्रदान नहीं कर सकेगी।

अनुसूची IV

Assessment Promotion Scheme for the medical faculty of Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi.

(As per AIIMS, New Delhi)

1. Salient Features

The salient features of the Assessment Promotion Scheme are as follows:

i. 100% of Assistant Professors with three years of service be considered for promotion as Associate Professors each year without linkage to the vacancies in the grade of Associate Professor.

ii. 75% of Associate Professors with three years of service be considered for promotion as Additional Professors each year without linkage to the vacancies in the grade of Additional Professor.

iii. 50% of eligible Additional Professors with four years of regular service in the grade of Additional Professor may be promoted as Professors each year without linkage to the vacancies in the grade of Professor.

iv.40% of posts of Professors will be operated in new Higher Administrative Grade [HAG] scale of Rs. 67000-79000/-. Promotion to this grade will be subject to clearance of the prescribed selection process.

2. Applications

These guidelines will apply to promotions to the faculty post in the grades of Associate Professor, Additional Professor and Professor.

3. Eligibility

I. Assessment Promotion Scheme for faculty will be according to as per applicable in AIIMS, New Delhi.

II. Assistant Professors and Associate Professors with 3 years and Additional Professors with 4 years of regular service in the respective grades in RIMS are eligible for Promotion as Associate Professor, Additional Professor and Professor respectively. No other conditions, e.g. higher qualifications as for direct recruits, need be fulfilled. Publications (Research papers) and other criteria fixed by AIIMS, New Delhi will be also applicable in RIMS, Ranchi.

4. Periodicity and Crucial Date

The Assessment Board will meet once in a year and considered the fitness of all persons who have completed the requisite eligibility service as on 30th June of that year. All promotions under the scheme will be effective from 1st July.

5. Seniority List

As per the rules in force, there can be direct recruitment to all grades of the faculty and selection on each occasion could be for appointment to be made at the same time but in more than one discipline. The combined seniority list of the Institute shall be worked out as follows:-

i. The seniority of the employees of the Institute in each category shall be determined by the order of merit in which they were selected for appointment to the Grade in question, those selected on an earlier occasion being ranked senior as a block to those selected later.

ii. The preparation of seniority list of persons selected in the same selection committee would involve the following steps:-

Step-I

Draw up list of persons on the basis of their date of joining those joining on an earlier date being placed above those joining on a later date.

Step -II

In the list prepared as above, those who join on the same date may be arranged in order of age – those born earlier being placed above those born later.

Step-III

For those joining on the same date and adjusted as in step II above according to their age, further re-arrangement may be carried out so that the original inter-seniority of the Institute employees in the Lower Post/ Grade maintained. This operation may be done by pulling down the junior in the previous combined seniority list immediately below his senior in that list now appearing in this list even though he may be elder in age.

Step –IV

The above list may now be further modified to carry corrections of violation of departmental merit/seniority laid down by the selection committee. This will be done by pulling the junior down immediately below his senior in merit.

Note:

In cases where a junior in the combined & seniority list is being considered for assessment, all persons senior to him/her in the seniority list will also be considered even though the seniors do not have the requisite years of service. The senior if found fit will be given national promotion with effect from the date of promotion of his/her junior and for purpose of pay etc., it would be granted to him/her with effect from the date of actual promotion i.e. the date on which he completes 4 years service on the grade at the RIMS, provided the following two conditions are fulfilled:-

a. Probation should have been completed by him/her successfully.

b. The total period of extension granted to join the service should not have exceeded 6 months.

6. Assessment Process

I. The Assessment Board shall take into consideration its recommendations of the Head of the Department/Unit, the performance of the faculty members with reference to annual confidential reports and his/her performance in the interview for deciding his fitness for promotion to the next higher grade. However, the Board may consider in absentia the candidature of such faculty members as are unable to present themselves for interview.

II. Assessment process will be as per applicable in AIIMS, New Delhi.

7. Number of Chances

A faculty member could avail of a total of three chances at each level for being considered for promotion under the Scheme. The time interval between the first and second chance would be two years and between the second and third chance three years.

8. Time to time amendments in the Assessment Promotion Scheme for faculty in AIIMS, New Delhi is applicable at RIMS, Ranchi as such.

Note :- भारत सरकार द्वारा AIIMS, New Delhi एवं अन्य अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं में F.No.V-16020/57/2008-ME-I (Pt.) Dated 15/05/2013, Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Health and Family Welfare (अनुसूची XI) को लागू करने का निर्देश दिया है। जैसे ही उसका अनुपालन एम्स, नई दिल्ली द्वारा शुरू कर दिया जायगा, रिम्स राँची भी उसी तिथि से उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

अनुसूची V

विभिन्न श्रेणियों के लिए चयन एवं प्रोन्नति समितियाँ

क्र0 सं0	पद/श्रेणी	चयन समिति	प्रोन्नति समिति
(1.)	(2.)	(3.)	(4.)
1.	**निदेशक**	i. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार - अध्यक्ष ii. विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार - सदस्य iii. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार - सदस्य सचिव iv. निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली - सदस्य v. निदेशक, संजय गांधी, पी0जी0आई, लखनऊ, उतरप्रदेश - सदस्य vi. निदेशक, आई0आई0एम0, राँची - सदस्य vii. कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा मनानीत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधि - सदस्य	

2.	**गैर शैक्षणिक**	i. विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार - अध्यक्ष ii. संस्थान का निदेशक - सदस्य सचिव iii. प्रधान सचिव/सचिव, स्वा0चि0शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार - सदस्य iv. सस्थान का संकायाध्यक्ष - सदस्य v. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड सरकार - सदस्य vi. शासी परिषद् के सदस्यों में से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति का एक प्रतिनिधि। - सदस्य vii. शैक्षणिक पदों के मामले में संबंधित विषय के दो वाह्य चिकित्सा /दंत चिकित्सा/परिचारिका/अन्य विशेषज्ञ - सदस्य viii. शासी परिषद् द्वारा मनोनीत शासी परिषद् के सदस्यों में से एक चिकित्सा विशेषज्ञ - सदस्य	कॉलम 3 की तरह
3.	**शैक्षणिक पद** **(Professor, Additional Professor, Associate Professor, Assistant Professor)**	रिम्स नियमावली -2002 के कंडिका 3 के अनुरुप। i. विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार - अध्यक्ष ii. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड सरकार - उपाध्यक्ष iii. संस्थान का निदेशक - सदस्य सचिव iv. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड सरकार या चिकित्सा शिक्षा के निदेशक पद पर किसी के कार्यरत नहीं होने की स्थिति में अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा - सदस्य v. शासी परिषद् में राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 7 (XI) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं	i. प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार - अध्यक्ष ii. संस्थान का निदेशक - सदस्य सचिव iii. संस्थान का संकायाध्यक्ष - सदस्य iv. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति का

		अनुसुचित जनजातियों के मनोनित प्रतिनिधि - सदस्य vi. राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त दों वाह्य विशेषज्ञ जिनका संस्थान से संबंध न हो, शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं नर्सिंग विशेषज्ञों के पैनल से अध्यक्ष द्वारा मनोनित किये जायगे। चयन समिति के दोनों मनोनित वाह्य विशेषज्ञ उस क्षेत्र एवं विषय के विशेषज्ञ होगें, जिसके लिये रिक्ति होगी। - दो सदस्य	एक प्रतिनिधि। - सदस्य v. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड सरकार - सदस्य vi. संबंधित विषय के एक वाह्य चिकित्सा /दंत चिकित्सा/परिचारिका /अन्य विशेषज्ञ - सदस्य vii. संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष - सदस्य
4.	**ट्यूटर/वरीय आवासीय चिकित्सक (Tenure Post only for 03 Years)**	रिम्स वरीय रेसीडेंसी स्कीम की कंडिका F(4) के अनुरुप।	--
5.	कनीय आवासीय चिकित्सक (अकादमिक) तथा सुपर सुपरस्पेशिलिटी डिग्री पाठ्यक्रम यानी एम0सी0एच0/डी0 एम0 (वरीय आवासीय चिकित्सक अकादमिक)	झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद् अथवा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित।	--
6.	**कनीय आवासीय चिकित्सक (गैर अकादमिक)**	रिम्स कनीय रेसीडेंसी स्कीम की कंडिका C(1) के अनुरुप।	-

अनुसूची VI

UPPER AGE LIMIT (For recruitment)

1) **FOR DIRECTOR –** According to RIMS Act and Rule 2002 the age of retirement of Director is 60 years, and upper age limit is 57 years.

2) **FOR FACULTY (Professor , Additional Professor , Associate Professor , Assistant Professor)** – Upper age limit is 50 years (fifty years) , however , relaxable for Government servents ,Schedule casts , schedule tribes or Other Exxceptionally qualified applicants upto 05 years & 03 years for Other Backward cast candidates .

3) **FOR SENIOR RESIDENTS / TUTORS (Tenure Post)** - Upper age limit is 33 years. Relaxable for SC/ST candidates for a maximum period of five years. In case of OBC candidates it is relaxable upto maximum period of three years. Orthopaedic Physical handicapped (OPH) this is relaxable upto maximum age of 10 years for General Category, 13 years for OBC & 15 years for SC/ST candidates.

Note: In future Upper Age Limit & Age of the Retirement of employee of RIMS, Ranchi will be fixed as per RIMS Act, Rule and Govt. of Jharkhand decision.

अनुसूची VII

Allotment of residence to the employees

As decided by the Standing Estate Committee.

अनुसूची VIII

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान स्वास्थ्य योजना

संस्थान के कर्मी एवं उनके आश्रित तथा रिम्स, राँची के विधार्थी संस्थान अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा पाने के हकदार होगें । राज्य सरकार की प्रथा के अनुसार इस संस्थान द्वारा अन्य चिकित्सा संस्थानों में भेजने की सुविधा जारी रहेगी। इस योजना के अधीन वे कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित अंशदान भी करेगें । कार्यकारी समिति योजना के नियमों को निर्धारित करेगी तथा निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर विभिन्न श्रेणियों की सुविधाए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कर्मियों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करेगें-

1. सुविधाओं का वर्गीकरण क,ख,ग श्रेणियों में किया जायगा तथा निम्नलिखित अनुसार कर्मी सुविधा पाने के हकदार होगें-

   a. क श्रेणी - पी0बी0-1 में वेतन
   b. ख श्रेणी - पी0बी0-2 में वेतन
   c. ग श्रेणी - पी0बी0-3 तथा पी0बी0-4 में वेतन

2. चिकित्सा छात्र 'ख श्रेणी के हकदार होंगे तथा परिचिकित्सा (पारामेडिकल) छात्र या अन्य छात्र यदि कोई हो, 'क ' श्रेणी का होंगे।
3. सेवानिवृत कर्मी/उनके पति-पत्नी उन्हीं चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे जैसा कि वे सेवाकाल में प्राप्त करते थे।
4. यदि अधिकृत श्रेणी में स्थान उपलब्ध नहीं हो तथा चिकित्सा अधीक्षक/उपाधीक्षक के द्वारा भर्ती अत्यावश्यक प्रमाणित हो तब उच्चतर श्रेणी का स्थान अस्थायी रूप से जबतक कि अधिकृत श्रेणी में शय्या उपलब्ध नहीं हो प्रदान किया जायगा। अन्य सभी मामलों में यदि कोई कर्मी/छात्र उच्चतर श्रेणी का विकल्प देते हैं तब उनसे उस उच्चतर श्रेणी की शय्या के लिए स्वीकार्य शल्य क्रिया, जाँच, स्थान इत्यादि का शुल्क उच्चतर श्रेणी में भर्ती की तिथि से वसूल किया जायगा।

अनुसूची IX

Fee payable by the candidates selected for admission/admitted to the various course of studies

As decided by the Academic committee.

अनुसूची X

Hospital stoppages

Scheduled of Charges

Laboratory Investigations

Pathology		
Sl. No.	**Investigations**	**Rates (Rs.)**
1	Hemogram	90
2	HB%	15
3	ESR	5
4	BTCT	10
5	CSF Cell Count	15
6	Band Cell	10
7	TC DC (WBC)	27
8	TC (RBC)	15
9	FNAC	35
10	Blood Smear	10
11	HPE	45
12	HSF	15
13	Cytology Exam	32
14	Pap Smear	32
15	Bone Marrow Exam.	27
16	CSF Cell Count	15
17	C.K. (MB)	90
18	Sickling Test	20
19	PT	27
20	Cholestrol	36
21	PBS Comment	10

22	PCV MCV MCH	90
23	Urine R/E	20
24	Platelet Count	15
25	Sickling Test	20
26	Reticulocyte Count	20
27	R/E Urine	20
28	Urine for Sugar	10
29	Urine R/E	20
30	Platelet Count	15
31	Stool Sugar	15

Microbiology		
Sl. No.	**Investigations**	**Rates (Rs.)**
1	AFB Culture	50
2	Gram's Sataining	10
3	Conjuntival SWAB C+S	20
4	Smear for KLB	27
5	CSF (Bacteria)	10
6	Mantoux Test (10 TU)	15
7	PUS C + S	20
8	Widal test	20
9	Urine - C+S	20
10	Hbs AG	90
11	Hepatitis C	200
12	Water Culture	45
13	R A Factor	23
14	VDRL	10

15	VDRL H & W	20
16	R/E Stool	20
17	Stool (Occult Blood)	10
18	Blood Group & RH	15
19	ASO titre	45
20	Dengue	27
21	Mantoux Test (5 TU)	15
22	Smear for KLB	27
23	Urine –C & S	20
24	VDRL	10
25	VDRL –H &W	20

Biochemistry		
Sl. No.	**Investigations**	**Rates (Rs.)**
1	Serum Albumin	15
2	Serum ALK. Phosphatase	15
3	Serum Amylase	27
4	Blood Sugar PP	30
5	Blood Sugar (R)	25
6	Blood Sugar –fasting	15 10
7	BUN	10
8	Serum Calcium	30
9	Serum Cholride	27
10	Serum Sodium	
11	CSF Chloride	5
12	Serum Potassium	15
13	CSF Glucose	15

14	CSF Protein	15
15	Phosphorus	27
16	HDL	36
17	Serum Cholestrol	36
18	S. Billirubin	15
19	S. Billirubin Total & Direct	15
20	S. Creatinine	27
21	SGOT	15
22	SGPT	15
23	LFT	45
24	Lipid Profile	200
25	Blood Urea	10
26	Total Protein	15
27	Serum Creatinine	27
28	T3	90
29	TSH	180
30	T3 + T4 + TSH	200
31	Total Glycerides (TG)	68
32	Serum uric acid	15
33	Urine BS, BP, URO	10
34	Serum Electrolytes	60
35	Osmotic fragility	27

Radiology		
Sl. No.	**Investigations**	**Rates (Rs.)**
1	CT Scan Ankle	1400
2	CT Scan Brain Contrast	1000
3	CT Scan Brain & Orbit	1250

4	CT Scan Brain Plain	800
5	CT Scan Chest	2000
6	CT Scan Elbow Contrast	2000
7	CT Scan Elbow Plain	1800
8	CT Scan HIP	1400
9	CT Scan Knee Plain	800
10	CT Scan KUB	2200
11	CT Scan Lower Abdomen Plain	1800
12	CT Scan Mandible	1000
13	CT Scan Neck	2000
14	CT Scan PNS Plain	1000
15	CT Scan S.I. Joint Contrast	1400
16	CT Scan S.I. Joint Plain	1200
17	CT Scan Spine Contrast	2000
18	CT Scan Spine Plain	1800
19	CT Scan Thigh	1400
20	CT Scan Neck	2000
21	CT Scan PNS Plain	1000
22	CT Scan S.I. Joint Contrast	1400
23	CT Scan S.I. Joint Plain	1200
24	CT Scan Spine Contrast	2000
25	CT Scan Spine Plain	1800
26	CT Scan Thigh	1400
27	CT Scan Thyroid Contrast	1250
28	CT Scan Thyroid Plain	1000
29	CT Scan Upper Abdomen Contrast	2200
30	CT Scan Upper Abdomen Plain	1800
31	CT Scan Whole Abdomen Contrast	3000

32	CT Scan Whole Abdomen Plain	2500
33	MRI Brain	3500
34	MRI Cervical Spine	3500
35	MRI D.L. Spine	3500
36	MRI L.S. Spine	3500
37	USG Any type	180
38	USG of Abdomen	180
39	USG of FWB	180
40	USG of Gravid Uterus	180
41	USG for Lower Abdomen	180
42	USG of Pelvis Organs	180
43	USG of Upper Abdomen	180
44	USG Whole Abdomen	180
45	X-ray Abdomen	70
46	X-ray Abdomen AP & LAT View	140
47	X-ray Abdomen Errect Posture	70
48	X-ray Bed Site	110
49	X-ray Cervical Spine AP % Lat view (C. Spine)	118
50	X-ray Chest AP & Lat View	140
51	X-ray Chest P.A. View	70
52	X-ray Clivical joint AP	70
53	X-ray Cystogram (without Contrast)	238
54	X-ray Elbow joint	70
55	X-ray Foot AP & Lat	70
56	X-ray fore arm & Lat	70
57	X-ray FRCP(without Contrast)	418
58	X-ray hand AP & latbral	70
59	X-ray Hip joint AP	70

60	X-ray Hip Joint AP & Lat View	140
61	X-ray HSG (without contrast without scanning)	180
62	X-ray HSG (without contrast with scanning)	210
63	X-ray H.S. Spine API Lat	418
64	X-ray Knee joint	70
65	X-ray Abdomen	70
66	X-ray Abdomen AP & LAT View	140
67	X-ray Abdomen Errect Posture	70
68	X-ray Bed Site	110
69	X-ray Cervical Spine AP % Lat view (C. Spine)	118
70	X-ray Chest AP & Lat View	140
71	X-ray Chest P.A. View	70
72	X-ray Clivical joint AP	70
73	X-ray Cystogram (without Contrast)	238
74	X-ray Elbow joint	70
75	X-ray Foot AP & Lat	70
76	X-ray fore arm & Lat	70
77	X-ray FRCP(without Contrast)	418
78	X-ray hand AP & latbral	70
79	X-ray Hip joint AP	70
80	X-ray Hip Joint AP & Lat View	140
81	X-ray HSG (without contrast without scanning)	180
82	X-ray HSG (without contrast with scanning)	210
83	X-ray H.S. Spine AP Lat	418
84	X-ray Knee joint	70
85	X-ray K.U.B. AP & Lat view	140
86	X-ray K.U.B. AP view	70
87	X-ray Leg AP & Lat	70

88	X-ray Lumber Spine AP Lat	140
89	X-ray Mandible AP Lat & OBL	140
90	X-ray Meelogram (Without Contrast)	720
91	X-ray OCG (Two plate)	150
92	X-ray pelvic AP View	70
93	X-ray PNS	70
94	X-ray Portable per plate	180
95	X-ray RGP (without contrast)	440
96	X-ray Screening Exam (Not fixed car Lier)	90
97	X-ray Shoulder AP & Lat View	140
98	X-ray Shoulder AP view	70
99	X-ray Sinogram	140
100	X-ray Skull AP & Lateral	140
101	X-ray S.L. Joint	70
102	X-ray Thigh	70
103	X-ray tooth Mastoids lat both side	90
104	X-ray wrist Ap & Lat View	70
105	X-ray Sinogram	140
106	X-ray Skull AP & Lateral	140
107	X-ray S.L. Joint	70
108	X-ray Thigh	70
109	X-ray tooth Mastoids lat both side	90
110	X-ray wrist Ap & Lat View	70

Sl. No.	**Cardiology/Neurology**	**Rates (Rs.)**
1	Color Doplar	180
2	ECG	16
3	ECHO	180

4	EEG	100

Sl. No.	Room/Bed Charges	Rates (Rs.)
1	Cottage (Non AC)	150
2	Cottage AC	250
3	Paying Room	15

नोटः Hospital stoppages rates में परिवर्तन रिम्स शासी परिषद् के अनुमोदन उपरांत प्रभावी होगें ।

अनुसूची XI

Work Standards for Faculty of autonomous Institutions of medical education under the Department of Health and Family Welfare, Government of India- guideline-reg.

Attention is invited to Ministry of Health and Family Welfare's letter No. V-16020/57/2008-ME.I dated 12.1.2010(copy enclosed) whereby the revision of pay scales of faculty of autonomous Institutions of medical education under the Department of Health and Family Welfare were communicated. Attention is further invited to paragraph5(V) of the letter ibid wherein it has been stipulated that the Institute Bodies concerned shall finalize suitable work standards for faculty within one year.

2. For the purpose of determining the work standard referred to above, Ministry of Health and Family Welfare vide letter no. V-16020/57/2008 dated 23rd July, 2010 had constituted a Committed its report to Ministry of Health and Family Welfare on 29th October, 2011. The report of Committee was circulated among all the Institutions of Medical education under the Department of Health and Family Welfare and further consultation was undertaken in a meeting taken by Secretary (Health & Family Welfare) on 22nd June,2012 with the Heads of the autonomous Institutions. Subsequently, based on the commonly agreed issues, a draft OM was circulated among the Heads of all the autonomous Institution of Medical Education under this Department vide letter of even no. dated 21/25 September,2012 seeking further comments.

3. Based on the recommendations of Dr. Sneh Bhargave Committee and the consultations held with the Institutions thereafter, the standard for faculty of autonomous Institutions of medical education under the Department of Health and Family Welfare, as detailed herein after, are hereby circulated, with the approval of Secretary, Department of Health & Family Welfare, as guidelines for adoption.

4. FUNTIONS OF FACULTY & ALLOCATION OF TIME

4.1 Faculty of medical institutions under reference are usually expected to devote time to

i. Teaching and training,
ii. Research
iii. Service delivery and patient care
iv. Corporate activities.

4.2 Apportion of faculty time amongst these functions would vary from Department to Department . Therefore, Department are to be grouped into THREE broad categories viz. The Basic Sciences Departments, the Para-clinical Services Departments and the Health Care Providers/ Clinical Departments. The apportionment of time for faculty activities expected to be as under :

Basic Sciences Departments	Anatomy, Physiology and Pharmacology, Biophysics, Biochemistry, Biotechnology and NMR
Teaching and training	45% of time
Research	45% of time
Corporate activities*	10%
Since teaching and research go hand in hand a 10-20% variation in time would be an acceptable norm	

Para-clinical Services Departments	Pathology, Microbiology, Laboratory Medicine**
Teaching and training	30% of time
Service Delivery	30% of time
Research	30%
Corporate activities*	10%
Healthcare providers/ clinical Departments	Medicine and sub specialties, Surgery and sub specialties, Gynae and Obst, Radiology and Imaging and Nuclear Madicine**
Teaching and training	30% of time
Patient care	30% of time
Research	30% if optimum conditions are provided
Corporate activities*	10%
Since teaching training and health care service delivery go-hand –in-hand the captive times would be interchangeable 10-20% .	

*Corporate activities include serving on various Department/ Institutional/ National/ Academic Committees.

** Each Institute can categorize its various Departments into these three groups according to work assigned to these to these Departments.

4.3 Institutes would have the flexibility of altering the time allocation criterion for evaluation of performance amongst various components by 15-25%. This would be formally notified by the Institute(s). The performance of faculty would be assessed against these components as per the formally assigned weight-age to each component.

5. CRITERIA FOR EVALUATION OF PERFORMANCE

5.1 The evaluation of faculty for promotion under the Assessment Promotion Scheme(APS) would be based on the following parameters :

a. Teaching & Training

Evaluation shall be based on :

i. Didactic lectures delivered

ii. Participation in Departmental, Institutional, programs sponsored by National Associations and other educational Institutions, educational exercises i.e. Continuing Medical Education, Grand rounds, Seminars, Workshops.
iii. Clinical teaching exercises
iv. Interdepartmental teaching
v. Mentorship & guidance provided to students for thesis work,
vi. Visiting Professorships
vii. Question Bank formation
viii. Student Feed back
ix. Production of teaching Material/ Books/ Monographs/ Technical Manuals
x. Innovation in teaching methods introduced

5.2 Details of the above stated activities will be maintained in a self reporting log/ proforma and would be made available to the internal screening committee.

b. **Research**

5.3 Subject to the flexibility allowed, 25-30% of working time should be captive time for research. This would be assessed on the following parameters and is mandatory when considering promotions of faculty.

Grants obtained

Assistant Professor	One intramural grant for an approved project of Rs.2-5 lakh per year to be provided by the Institution as seed money at the time of joining the Institutes.
Associate Professor	Extramural Grant- one
Additional Professor	Extramural Grant- Two

i. The Grant could be held either as Principal Investigator or as Co-investigator.
ii. Peer reviewed ethics committee approved non funded grants would also be given same weight-age considered for evaluation under APS.
iii. Institutes other than AIIMS New Delhi, PGIMER Chandigarh, NIMHANS Bangalore would also establish their Scientific Advisory Committees.
iv. Institutes must introduce training course in Research Methodology for all faculty on mandatory basis.

c. Publications

5.4 To be considered for promotion under the APS, faculty are required, as a part of their research activities, to publish papers as under:

	Publication in PubMed / Indexed journal(Mondatory)
Assistant Professor	At least 3 publications of which at least 1 should be first author
Associate Professor	3-5 papers during the assessment period of which at least 1 should be first /corresponding author original article.
Additional Professor	5-7 paper during the assessment period of which at least 2 should be first/corresponding author original article.

Professor	5-10 paper during the assessment period of which at least 3 should be first/ corresponding author original article. The publications should be focus in a particular research area.

5.5 Evalution of published papers would be done on the basis of

i. Number of paper published in
   a. National Journals
   b. International Journals

ii. Total citation index

iii. Average impact factor of Journals

iv. Quality of publication(s).

v. Number of PhD scholars being guided would be given due credit.

vi. Patients earned will be given due credit.

vii. Elected membership/fellowship of medical and sciences academies is a desirable achievement and will be given due credit.

d. Patient Care Services

5.6 The criteria for assessment of performance in delivery of Patient Care Services would be as follows:

5.6. 1 Clinical

i. OPD's clinics attended per month

ii. IPD duties assigned and done per month

iii. Procedures/surgeries undertaken

iv. New techniques developed

v. New Services started Creation of disease management programmes for care-contimnuum.

vi. Destination Programme(High excellence)

vii. Interdisciplinary clinical treatment that are pace setters for other systems to adopt

viii. Development of new care models/care delivery methods.

5.6.2 Para-Clinical

Based on :

i. Work-load

ii. New diagnostic test/techniques introduced

Note : Every Institution would establish department collegiums comprising of the HoD and the next two senior most faculty members in the Department for apportioning time for patient care services by individual faculty which would be communicated to the administration for record and subsequent assessment under the APS.

e. Corporate Activeties

5.7 This would include participation by faculty in activities promoting the objectives of the Institute, smooth functioning of the department(s). Faculty of national Institutes are also called upon to serve on various committees of national and international scientific, educational and health care Institutions/ organizations and by Industry as well. These activities would be given due credit.

6. PROCESSES & TIME SCHEDULE FOR PROMOTION UNDER APS

6.1 Applications for consideration under APS shall be invited every year on the May. Applicant faculty would be asked to indicate whether he/ she would like to make presentations of their work. Interviews of applicant faculty by the standing Selection Committee would be organized accordingly.

6.2 As under the Flexible Complementing Scheme, there would be two levels of screening under the assessment Promotion as well. In addition Peer Review of Performance would also undertaken.

6.2.1 Internal Screening & Peer Review

i. An Internal Screening Committee shall be constituted for each Department every Institution for evaluation of annual work done by individual faculty members vis-a-vis the relevant bench mark(s). A report on the work done b, the faculty would be prepared by the Committee. The resume submitted by the faculty and the report on his/ her performance would be sent for peer review to be assessed and grade as under:

Outstanding = A+
Very Good =A
Good = B+
Average =B
Poor = C

ii. The ACR/ APAR of the relevant period would also be assessed as per extant guidelines and graded accordingly as :

Outstanding (A+)
Very Good (A)
Good (B+)
Average (B)
Poor (C).

iii. The ACR/APAR grading. The report on the work done and the outcome of the peer review would be submitted for consideration by the Standing Selection Committee.

6.2.2 Screening by the Selection Committee

i. The Chairman of the Standing Selection Committee in consultation with the Director of the Institute will select the experts to be associated with the interview from amongst the panel of expert s proposed by the Department concerned.

ii. Meeting of the Selection Committee will be fixed for September every year to consider the application received d from faculty.

iii. All members and experts after the interview shall individually grade the faculty from

"A+" to "C"

A+ shall be treated as 'outstanding'.
A shall be treated as ' Very Good'
B + shall be treated as 'Good'
B shall be treated as 'Average'.
C shall be treated as 'Poor'.

iv. For promotion to Associated Professor and Additional Professor, the benchmark would be 'A'.

v. For promotion from Additional Professor to Professor, the benchmark would be'A+'.

7. ANNUAL SCHEDULE TO BE FOLLOWED FOR THE ASSESSMENT PROMOTION SCHEME

PROCESS TO BE FOLLOWED FOR APS EVERY YEAR

Call for Applications in specific format (May)

↓

Receive completed application (June)

↓

Refer to Internal Screening Committee (July)

↓

Refer for Peer Review (Aug.)

↓

Personal Interview of candidate Standing selection Committee (Sept. To Nov.)

↓

Declaration of result (December)

↓

Issue of promotion orders(December)

8. APPEALS AGAINST THE RECOMMENDATIONS OF THE STANDING SELECTION COMMITTEE

8.1 In case of appeals, the Governing Body should scrutinize the appeals as to whether they should be entertained. If any appeal/ representation has a reasonable basis , the same should be referred back to the full Selection Committee for reconsideration and the experts assisting the Committee during reconsideration, should not be the same who participated in the original selection.

8.2 The appellant should invariably by given opportunity of personal hearing by the Selection Committees.

9. REVIEW OF CANDIDATES FOUNDATION UNFIT FOR PROMOTION UNDER APS

There would be no bar or ban on consideration for APS in the succeeding year(s) for candidates found unfit APS during the first year of their eligibility.

10. PERIOD OF ABSENCE FROM INSTITUTE

10.1 The APS requires a minimum period of service at each level before a faculty can be eligible for next promotion. Therefore, faculty members taking assignments outside the Institute would normally not be eligible for consideration under the APS unless they have put in the required years of service in the Institute. While relieving faculty for taking up such assignments, the relieving order must clearly specify whether the period of absence from the Institute would count towards eligibility under the APS or not.

10.2 Period of tracing/ service with national/ International/ Multinational agencies dealing in health sector (Services) which is treated as duty would, however, be counted for eligibility under APS.

10.3 The period of leave including leave on medical g rounds, EOL, etc., availed on personal grounds shall not count towards the minimum residency period.

10.4 Child care leave of maximum six months duration would be considered for assessment purposes under APS.

11. INFRASTRUCTURE

All Institutes shall immediately

i. Undertake computerization of patient care records and administrative processes. The e-hospital and e-office modules developed by National Informatics Centre and currently under implementation under AIIMS New Delhi could be considered by other Institutes as well.

ii. Fill up all sanctioned and vacant faculty posts.

iii. Announce trust areas of research: make funds available for multidisciplinary and multi-Institutional projects relevant to the country.

Each Institution shall take immediate steps for incorporation of these guideline into their regulations.

Sundeep Kumar Nayak,

Joint Secretary to the Govt.of India.

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 475–50 ।